रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 <u>REGD. No. D. L.-33002/99</u>

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-25022022-233739 SG-DL-E-25022022-233739

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 24, 2022/फाल्गुन 5, 1943 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 474 No. 5] DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 24, 2022/PHALGUNA 5, 1943 [N. C. T. D. No. 474

भाग II—I PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 24 फरवरी, 2022

सं. 13/नियम/डीएचसी.—

दिल्ली उच्च न्यायालय बौद्धिक संपदा अधिकार अनुभाग नियम, 2022

उद्देशिका

जबिक, अधिकरण सुधार (परिमेयकरण एवं सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021) ("अध्यादेश") अब अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (अ.सु.अ. 2021) को लागू करने पर एवं उक्त विधेयक पर आगे कार्य करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर, दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा निपटाए जाने वाले मामलों को छोड़कर, बौद्धिक संपदा अधिकार (बौ.सं.अ.) से सम्बंधित मामलों के निपटान हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय में बौद्धिक संपदा अनुभाग (बौ.सं.अनु.) के निर्माण का अनुमोदन करते हैं |

जबिक, दिल्ली उच्च न्यायालय कार्यालय आदेश

1307 DG/2022 (1)

सं. 667/ऑरीजिनल साइड/दि.उ.न्या. दिनांकित 7 जुलाई, 2021 माननीय मुख्य न्यायाधीश के बौ.सं.अनु. के निर्माण के निर्णय को दर्ज करता है |

दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 7, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 129 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा अ.सु.अ., 2021 द्वारा यथा संशोधित विभिन्न बौद्धिक संपदा क़ानून के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय एतद द्वारा इसके ऑरीजिनल व अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग हेतु व्यवहार एवं प्रक्रिया के सम्बन्ध में इसके बौ.सं.अनु. के समक्ष सूचीबद्ध मामलों के लिए और बौ.स.अ. एवं सम्बंधित कानूनों से उत्पन्न अन्य विविध याचिकाओं हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है |

बौद्धिक संपदा मामलों को नियंत्रित करने वाले मुख्य प्रावधान व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999; प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957; पेटेंट अधिनियम, 1970; डिज़ाइन अधिनियम, 2000; माल के भौगोलिक उपदर्शन (रिजस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999; पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001; अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन अधिनियम, 2000; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के साथ-साथ सामान्य विधि में अंतर्विष्ट हैं।

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- (i) ये नियम "दिल्ली उच्च न्यायालय बौद्धिक संपदा अधिकार अनुभाग नियम, 2022" (दि.उ.न्या. बौ.सं.अनु. नियम, 2022) कहलाएंगे।
- (ii) ये नियम दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तिथि से लागू होंगे |

2. परिभाषाएं – इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

- (क) "अधिनियम(मों)" से अभिप्रेत है निम्नलिखित क़ानून, यथा लागू:
 - (i) प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957;
 - (ii) डिज़ाइन अधिनियम, 2000;
 - (iii) माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999;
 - (iv) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
 - (v) पेटेंट अधिनियम, 1970;
 - (vi) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001;
 - (vii) अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन अधिनियम, 2000;
 - (viii) व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999;
- (ख) "तामील हेतु पता" से अभिप्रेत है किसी आवेदक, अपीलार्थी, शिकायतकर्ता, याचिकाकर्ता, प्रत्यर्थी सहित वर्तमान में अधिकृत व्यापार चिन्ह अभिकर्ता, पेटेंट अभिकर्ता या अन्य अभिकर्ता के साथ-साथ विधि व्यवसायी द्वारा बौ.सं.का. के समक्ष दिया गया पता जिस पर सम्मन, नोटिस या अन्य आदेशिकाओं की तामील होनी है;
- (ग) "अभिकर्ता" में शामिल है व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 145 और पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 125 में परिभाषित व्यापार चिन्ह अथवा पेटेंट अभिकर्ता जो सम्बंधित पक्षकार द्वारा विधिवत अधिकृत हो एवं बौ.सं.अनु. की सहायता करने के लिए विधि व्यवसायी के साथ बौ.सं.अनु. के समक्ष उपस्थित होने हेतु अधिकृत हो;
- (घ) "अपील" में बौ.सं.अनु. के समक्ष सम्बंधित अधिनियमों की निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत दाखिल अथवा स्थानांतरित की गई कोई अपील शामिल है जिनकी नाम-पद्धति निम्न प्रकार है:
 - (i) व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 91 के अंतर्गत [सि.अ.(वा.बौ.सं.अनु.-टी.एम.)];
 - (ii) प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 72 के अंतर्गत [सि.अ.(वा.बौ.सं.अनु.-सी.आर.)];
 - (iii) पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 117-क के अंतर्गत [सि.अ.(वा.बौ.सं.अनु.-पी.ए.टी.)];

- (iv) माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 31 के अंतर्गत [सि.अ.(वा.बौ.सं.अनु.-जी.आई.)];
- (v) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 56 के अंतर्गत [सि.अ.(वा.बौ.सं.अनु.-पी.वी.)];
- (vi) अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन अधिनियम, 2000 की धारा 42 के अंतर्गत [सि.अ.(वा.बौ.सं.अनु.-एस.सी.डी.)];
- (vii) डिज़ाइन अधिनियम, 2000 की धारा 36 के अंतर्गत [सि.अ.(वा.बौ.सं.अनु.-डी.ई.)]
- (viii) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 62 के अंतर्गत [सि.अ.(वा.बौ.सं.अनु.-आई.टी.)]
- (ङ) "अपीलार्थी" से अभिप्रेत है बौ.सं.अनु. के समक्ष नियम 2(घ) में परिभाषित अपील तथा अन्य अपीलों जैसे नि.प्र.अ. तथा आ.प्र.अ. में कोई व्यक्ति;
- (च) "साक्ष्य" पक्षकारों तथा विशेषज्ञों द्वारा बौ.सं.अनु. के समक्ष शपथ-पत्र सहित दस्तावेज तथा मौखिक साक्ष्य, यदि दर्ज किया गया हो, होगा;
- (छ) "शुल्क" से अभिप्रेत होगा इन नियमों की अनुसूची-॥ में विनिर्दिष्ट शुल्क;
- (ज) "प्रपत्र" से अभिप्रेत होगा इन नियमों की अनुसूची-। में विनिर्दिष्ट प्रपत्र;
- (झ) इन नियमों के प्रयोजन हेतु "बौद्धिक सम्पदा अधिकार (बौ.सं.अ.) विषय-वस्तु" में शामिल होगा:-
 - (i) पेटेंट, प्रतिलिप्याधिकार, व्यापार चिन्ह, भौगोलिक उपदर्शन, पौधा किस्म, डिजाइन, अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन, परंपरागत ज्ञान तथा उससे सम्बंधित सामान्य विधि के तहत समस्त अधिकार, यदि कोई हों, से सम्बंधित मामले;
 - (ii) चला देने, अनुचित प्रतियोगिता के कृत्य, अपकथन, तुलनात्मक विज्ञापन से सम्बंधित मामले;
 - (iii) व्यापार गुप्तता, गोपनीय सूचना और सम्बंधित विषय-वस्तु का संरक्षण;
 - (iv) बौद्धिक संपदा मामलों को शामिल करते हुए निजता एवं प्रकाशन अधिकार से सम्बंधित अपकृत्यिक कार्य;
 - (v) डेटा अनन्यता, डोमेन नाम से सम्बंधित मामले और डेटा संरक्षण से सम्बंधित अन्य मामले जिनमें बौद्धिक सम्पदा मामलों के साथ अधिनियम के अंतर्गत नियम 2(क) में परिभाषित मामले शामिल हैं;
 - (vi) उपरोक्त खंड (i) से (v) की विषय-वस्तु से सम्बंधित इन्टरनेट अतिक्रमण के मामले;

स्पष्टीकरण :

- (i) इन नियमों के प्रयोजन हेतु उपरोक्त विषय-वस्तु वाले मध्यस्थों, ऑनलाइन मार्किट तथा ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के अधिकार एवं दायित्वों से जुड़े सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से सम्बंधित मामले बौद्धिक सम्पदा अधिकार की परिधि में समझे जायेंगे |
- (ii) मध्यस्थों, ऑनलाइन मार्किट तथा ई-कॉमर्स प्लेटफार्म का अर्थ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2(ब) में दी गई परिभाषा के अनुसार होगा |
- (ञ) "बौद्धिक सम्पदा अधिकार अनुभाग (बौ.सं.अनु.)" का सम्बन्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में बौ.सं.अ. की विषय-वस्तु से सम्बंधित मामलों और विवादों के निपटान हेतु एकल न्यायाधीश द्वारा संचालित अनुभाग से है;
- (ट) "बौद्धिक सम्पदा कार्यालय (बौ.सं.का.)" से अभिप्रेत होगा
 - (i) व्यापार चिन्ह के मामले में 'व्यापार चिन्ह पंजीयक' का कार्यालय;
 - (ii) प्रतिलिप्याधिकार के मामले में 'प्रतिलिप्याधिकार पंजीयक' का कार्यालय;
 - (iii) पेटेंट के मामले में 'पेटेंट, डिजाईन एवं व्यापार चिन्ह महानियंत्रक' का कार्यालय;

- (iv) भौगोलिक उपदर्शन के मामले में 'भौगोलिक उपदर्शन पंजीयक' का कार्यालय;
- (v) पौधों की किस्म के मामले में 'पौधों की किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण' अथवा 'पौधों की किस्म की रजिस्ट्री' जो भी लागू हो;
- (vi) अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन के मामले में 'अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास-डिज़ाइन पंजीयक' का कार्यालय;
- (vii) डिज़ाइन के मामले में 'पेटेंट, डिजाईन एवं व्यापार चिन्ह महानियंत्रक' का कार्यालय;
- (ठ) "बौ.सं.अ. विषय-वस्तु अथवा मामले अथवा कार्यवाही अथवा विवाद" में बौ.सं.अनु. के समक्ष दाखिल सभी मूल कार्यवाहियां, बौ.सं.अ. विषय-वस्तु से सम्बंधित अपीलीय एवं अन्य कार्यवाहियाँ, जैसा कि उपरोक्त नियम 2(i) में परिभाषित है, शामिल होंगी तथा इनमें निम्न भी शामिल होगा:-
 - (i) विभिन्न बौ.सं.का. के प्रतिसंहरण आवेदन, रद्दकरण आवेदन, अन्य मूल कार्यवाहियाँ, अपील एवं याचिकाएं और अन्य सभी कार्यवाहियाँ जो अब तक बौद्धिक सम्पदा अपीलीय बोर्ड (बौ.सं.अ.बो.) के समक्ष अधिनियम के प्रावधानों के तहत सुनवाई योग्य थीं;
 - (ii) दाखिल किए गए सभी वाद जिनमें बौ.सं.अ. विषय-वस्तु शामिल है, जो या तो सम्बद्ध क़ानून के तहत हो या प्रकाशन की निजता व अधिकार के उल्लंघन से सम्बंधित वादों को शामिल करते हुए सामान्य विधि के तहत हो;
 - (iii) खंडपीठ द्वारा सुने जाने वाले मामलों को छोड़कर, बौ.सं.अ. विषय-वस्तु से उत्पन्न रिट याचिकाएं (सिविल) [रि.या. (सि.)], सि.विविध (मुख्य) [सि.वि.(मु.)], नियमित प्रथम अपील [नि.प्र.अ.], आदेश से प्रथम अपील [आ.प्र.अ.], सिविल पुनरीक्षण याचिका [सि.पु.या.] और दिल्ली के वाणिज्यिक न्यायालयों से सम्बंधित विवाद;
 - (iv) बौ.सं.अ.बो. के समक्ष लंबित दिल्ली उच्च न्यायालय को स्थानांतरित दिल्ली क्षेत्र से सम्बंधित समस्त कार्यवाहियाँ |
- (ड) "विधि व्यवसायी" का वही अर्थ होगा जो इसे अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में दिया गया है;
- (ढ) "पेटेंट वाद नियम, 2022" से अभिप्रेत होगा पेटेंट वाद, 2022 को नियंत्रित करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय नियम;
- (ण) "याचिका" में शामिल है सिविल ऑरीजिनल याचिका, रिट याचिका (सिविल), सिविल विविध (मुख्य), सिविल पुनरीक्षण याचिका एवं अपील:
 - (i) सिविल ऑरीजिनल याचिका से अभिप्रेत है बौ.सं.अनु. के समक्ष किसी भी अधिनियम के अंतर्गत मूल कार्यवाही के रूप में दाखिल कोई याचिका;
 - (ii) रिट याचिका (सिविल) से अभिप्रेत है परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा, अधिकार-पृच्छा की कोई रिट जारी करने के साथ-साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कोई याचिका/आवेदन;
 - (iii) सिविल विविध (मुख्य) से अभिप्रेत है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत कोई याचिका:
 - (iv) सिविल पुनरीक्षण याचिका से अभिप्रेत है सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के अंतर्गत कोई याचिका; एवं
 - (v) नियम 2 (घ) में परिभाषित अपील एवं बौ.सं.अनु. के समक्ष अपीलीय कार्यवाही के रूप में अन्य अपील जैसे नि.प्र.अ. और आ.प्र.अ.;
- (च) "अभिवचन" में बौ.सं.अनु. के समक्ष दाखिल वादपत्र, लिखित अभिकथन, प्रत्युत्तर, आवेदन, अपील, शिकायत, जवाबी शपथपत्र, जवाबी अभिकथन, याचिका, पुनरीक्षण, उत्तर, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर शपथपत्र शामिल होगा |

3. प्रयोज्यता

ये नियम दिल्ली उच्च न्यायालय के बौ.सं.अनु. के समक्ष समस्त बौ.सं.अ. विषय-वस्तु अथवा मामलों अथवा कार्यवाहियों अथवा विवादों पर लागू होंगे व इन्हें नियंत्रित करेंगे |

4. क्षेत्राधिकार

व्यावसायिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 के अंतर्गत खंडपीठ द्वारा निर्णीत किये जाने वाला मामलों को छोड़कर, बौ.सं.अनु. के समक्ष दाखिल अथवा इसे स्थानांतरित प्रत्येक बौ.सं.अ. विषय-वस्तु अथवा मामला अथवा कार्यवाही अथवा विवाद, जैसा कि नियम 2(झ), (ञ), (ठ) में परिभाषित है, बौ.सं.अनु. के एकल न्यायाधीश द्वारा सुना व न्याय-निर्णीत किया जाएगा |

5. फाइल करते समय अपनाई जाने वाली फाइलिंग और शब्दावली

बौ.सं.अनु. के समक्ष बौ.सं.अ. की विषय-वस्तु या मामले या कार्यवाहियाँ या विवाद निम्न श्रेणियों के अंतर्गत नीचे दी गई नाम-पद्धति के साथ होंगे :

(i) अपील

नाम-पद्धति

- (क) व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 के अंतर्गत सिविल अपील (वा. बौ.सं.अनु.-टी.एम.);
- (ख) प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 के अंतर्गत सिविल अपील (वा. बौ.सं.अनु.-सी.आर.);
- (ग) पेटेंट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत सिविल अपील
- (वा. बौ.सं.अनु.-पी.ए.टी.);
- (घ) माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के अंतर्गत सिविल अपील
- (वा. बौ.सं.अनु.-जी.आई.);
- (ङ) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत सिविल अपील (वा. बौ.सं.अनु.-पी बी)
- (च) अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत सिविल अपील
- (वा. बौ.सं.अनु.-एस.सी.डी.);
- (छ) डिज़ाइन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत सिविल अपील (वा. बौ.सं.अनु.-डी.ई.);
- (ज) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत सिविल अपील (वा. बौ.सं.अन्.-आई.टी.);
- (ii) सिविल मूल याचिकाएं

नाम-पद्धति

- (क) व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 के अंतर्गत सिविल मूल (वा. बौ.सं.अनु.-टी.एम.);
- (ख) प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 के अंतर्गत सिविल मूल (वा. बौ.सं.अनु.-सी.आर.);
- (ग) पेटेंट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत सिविल मूल
- (वा. बौ.सं.अन्.-पी.ए.टी.);
- (घ) माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के अंतर्गत सिविल मुल
- (वा. बौ.सं.अनु.-जी.आई.);
- (ङ) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत सिविल मूल (वा. बौ.सं.अनु.-पी.वी.);
- (च) अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत सिविल मूल
- (वा. बौ.सं.अनु.-एस.सी.डी.);

- (छ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 46 के अंतर्गत सिविल मूल (वा. बौ.सं.अनु.-आई.टी.), जहाँ दावा 5 करोड़ से अधिक हो;
- (iii) रिट याचिकाएं (सिविल)

नाम-पद्धति : रिट याचिका (सि.)-बौ.सं.अनु.

(iv) सिविल विविध मुख्य

नाम-पद्धति : सिविल विविध (मुख्य)-बौ.सं.अनु.

(v) नियमित प्रथम अपील (नि.प्र.अ.)

नाम-पद्धति : नि.प्र.अ.-बौ.सं.अन्.

(vi) आदेश से प्रथम अपील (आ.प्र.अ.)

नाम-पद्धति : आ.प्र.अ..- बौ.सं.अनु.

(vii) निष्पादन प्रथम अपील (नि.प्र.अ.)

नाम-पद्धति : नि.प्र.अ.- बौ.सं.अन्.

(viii) सिविल पुनरीक्षण याचिका (सि.पु.या.)

नाम-पद्धति : सि.पु.या.- बौ.सं.अनु.

6. अपील हेतु प्रक्रिया

- (i) बौ.सं.अनु. के समक्ष, मौजूदा नियमों के नियम 2(घ) के अंतर्गत आने वाली अपीलें अनुसूची-I में निर्धारित प्रारूपों/प्रपत्रों के अनुसार सम्बंधित अधिनियम(मों) में निर्धारित परिसीमा की अवधि के भीतर अनुसूची-II में निर्धारित अपेक्षित न्यायालय शुल्क के साथ दाखिल की जाएँगी |
- (ii) अपीलों में उचित प्रपत्र में वांछित अन्य विवरणों के साथ पक्षकारों का ज्ञापन, सारांश, तिथियों की सूची, अपील का संक्षिप्त ज्ञापन, अपील में चुनौती के आधार, आक्षेपित आदेश एवं अपील करने वाले अपीलार्थी का शपथ पत्र शामिल होगा | अपीलार्थी पक्षकारों के बीच लंबित विवाद की विषय-वस्तु से सम्बंधित किसी पूर्व मुकद्दमे का विवरण देगा |
- (iii) बौ.सं.का. के अभिलेख का भाग तैयार करने वाले सभी प्रपत्र, पत्र-व्यवहार और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ सामान्यतः अपील के साथ दाखिल होंगे।
- (iv) दस्तावेज़ जो बौ.सं.का. के अभिलेख का भाग नहीं हैं, सामान्यतः बौ.सं.अनु. के द्वारा न्यायालय की अनुमित के बिना स्वीकृत नहीं होंगे |
- (v) अपील के ज्ञापन में यह उल्लिखित होगा कि दाखिल किये जा रहे दस्तावेज़ बौ.सं.का. के अभिलेख में शामिल हैं या नहीं और यदि कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ दाखिल किये जा रहे हैं तो उनका विवरण और उनकी प्रासंगिकता स्पष्ट की जानी चाहिए। ऐसे दस्तावेज़ न्यायालय की अनुमित की मांग करने वाले आवेदन के साथ होने चाहिएं, जिस स्थित में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 27 के सिद्धांतों के समान सिद्धांत लागू होंगे।
- (vi) जब तक कि न्यायालय उचित न समझे, अपील में कोई साक्ष्य दर्ज नहीं होंगे। हालांकि, बौ.सं.अनु. किसी भी स्पष्टीकरण के लिए किसी भी गवाह, जिसने बौ.सं.का. के समक्ष गवाही दी हो, की उपस्थिति के निर्देश दे सकता है।
- (vii) सभी अपीलों में बौ.सं.का. के समक्ष सभी विरोधी पक्षकारों को प्रत्यर्थीगण के रूप में शामिल किया जाएगा। सम्बंधित बौ.सं.का. को भी प्रत्यर्थी के रूप में शामिल किया जाएगा।
- (viii) न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों पर ही अपील में जवाब दाखिल होंगे, यदि आवश्यकता हो तो। हालांकि सुनवाई के दौरान या अन्यथा, विरोधी पक्ष को किसी भी संबंधित अभिलेख की प्रति, जिस पर वह भरोसा जताने का इच्छुक हो, प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

- (ix) यदि जवाब दाखिल करने के निर्देश हों, तो न्यायालय द्वारा नियत अवधि के भीतर या ऐसे जवाब दाखिल करने हेत् न्यायालय के निर्देश की तिथि से 60 दिन के भीतर दाखिल होंगे।
- (x) यदि जवाब के प्रत्युत्तर दाखिल करने के निर्देश हों, तो न्यायालय द्वारा नियत अवधि के भीतर या ऐसे प्रत्युत्तर दाखिल करने हेतु न्यायालय के निर्देश की तिथि से 30 दिन के भीतर दाखिल होंगे।
- (xi) आगे कोई भी शपथ पत्र या अभिवचन केवल न्यायालय की अनुमति से ही दाखिल होगा |
- (xii) एकल न्यायाधीश के समक्ष दाखिल सिविल अपीलों में लागू होने वाली प्रक्रियाएं: दिल्ली उच्च न्यायालय नियम और आदेश के साथ समय-समय पर जारी व्यवहार-निर्देश, इन नियमों में कोई विसंगति की सीमा तक, बौ.सं.अन्. के समक्ष दाखिल होने वाली अपीलों पर लागू होंगे।

7. मूल याचिकाओं (सिविल मूल याचिका) हेतु प्रक्रिया

- (i) मूल याचिका में पक्षकारों के ज्ञापन, सारांश, तिथियों की सूची और सम्बंधित प्रपत्रों में निर्दिष्ट अन्य सभी विवरण के साथ याचिकाकर्ता/याचिका दाखिल करने वाले पक्षकार का शपथ-पत्र दाखिल होगा।
- (ii) पक्षकारों को मूल याचिका में मांगी गई राहत के समर्थन में अन्य सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ दाखिल करने होंगे। यदि याचिकाकर्ता द्वारा अंतरिम आदेश की मांग की गई हो, तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 1 और 2 के अंतर्गत आवेदन दाखिल करना होगा जिसमें ऐसे अंतरिम आदेश के आधार स्पष्ट दिए गए हों। मूल याचिका प्रकथन द्वारा यह उल्लेख करना होगा कि दाखिल दस्तावेज़ों में से कौन से दस्तावेज़ बौ.सं.का. के अभिलेख का भाग हैं।
- (iii) बौ.सं.अनु. के समक्ष सम्बंधित क़ानून के तहत दाखिल मूल याचिकाएं, मौजूदा नियमों के अंतर्गत अनुसूची-I में निर्धारित प्रारूपों/प्रपत्रों के अनुसार (सम्बंधित अधिनियम(मों) में निर्धारित परिसीमा की अवधि, यदि कोई हो, के भीतर) अनुसूची-II में निर्धारित उचित न्यायालय शुल्क के साथ दाखिल होंगी।
- (iv) मूल याचिकाएं सम्बंधित बौ.सं.का. के सुसंगत अभिलेख, जिनमें सुसंगत पत्र-व्यवहार शामिल हो, के साथ दाखिल होंगी।
- (v) पेटेंट से संबंधित मूल याचिका के मामले में, विभिन्न संस्करणों/दावों, यदि प्रासंगिक हो, के साथ पेटेंट का पूर्ण ब्यौरा बौ.सं.का. के समक्ष दाखिल प्रासंगिक प्रपत्रों के साथ दाखिल किया जाएगा |
- (vi) दस्तावेजों को अभिलेख के साथ ही पढ़ा जायेगा, जब तक कि किसी पक्ष द्वारा विरोध न किया जाए। ऐसा विरोध प्रथम स्तर पर ही अर्थात स्वीकृति/अस्वीकृति के शपथ पत्र के साथ जवाब या प्रत्युत्तर किया जाएगा | उक्त दस्तावेज़ों की स्वीकृति/अस्वीकृति दिल्ली उच्च न्यायालय (ऑरीजिनल साइड) नियम, 2018 के अनुसार संचालित होगी। अस्पष्ट या बिना किसी न्यायसंगत कारण या वजह से दस्तावेज़ों की अस्वीकृति जुर्माने से दण्डित होने योग्य होगी।
- (vii) मूल याचिकाओं में विवाद्यक विरचना अनिवार्य नहीं होगी। निरसन/रद्दीकरण वाली याचिकाओं में न्यायालय विवाद्यकों की विरचना कर सकता है, यदि आवश्यक समझे तो। अभिवचन के पूर्ण होने पर, अंत में न्यायालय याचिका पर सुनवाई आरंभ करेगा |
- (viii) न्यायालय द्वारा साक्ष्य दाखिल करने के निर्देश दिए जा सकते हैं, यदि आवश्यक हो। साक्ष्य सामान्यतः शपथ पत्र के रूप में होंगे। न्यायालय के आदेश में दर्ज किये जाने वाले कारणों से जिरह सहित मौखिक साक्ष्य का निर्देश दिया जा सकता है | यदि मौखिक साक्ष्य का निर्देश दिया जाता है, साक्ष्य को दर्ज करने की प्रक्रिया और अन्य सम्बंधित प्रक्रियाएं इन नियमों के साथ-साथ दिल्ली उच्च न्यायालय (ओरिजिनल साइड) नियम, 2018 द्वारा नियंत्रित होगी | निरसन/ रद्दीकरण वाली याचिकाओं में, विवाद्यक विरचना होने पर, न्यायालय शपथ पत्र के माध्यम से साक्ष्य दाखिल करने का निर्देश देगा |
- (ix) यदि जवाब दाखिल करने का निर्देश हो, तो न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर या ऐसा जवाब दाखिल करने हेतु न्यायालय के निर्देश की तिथि से 60 दिनों के भीतर दाखिल किया जाएगा |
- (x) यदि जवाब के प्रत्युत्तर दाखिल करने के निर्देश हो, तो न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर या ऐसा प्रत्युत्तर दाखिल करने हेतु न्यायालय के निर्देश की तिथि से 30 दिनों के भीतर दाखिल किया जाएगा |

- (xi) इसके अतिरिक्त कोई भी शपथ पत्र या अभिवचन केवल न्यायालय की अनुमति से ही दाखिल किया जाएगा |
- (xii) निरसन/रद्दीकरण की मांग करने वाली याचिकाओं में, न्यायालय उक्त याचिका को समान बौ.सं.अ. विषय-वस्तु के उल्लंघन वाले उल्लंघन के वाद के साथ समेकित करने का निर्देश देगा |
- (xiii) मूल याचिकाओं पर लागू होने वाली प्रक्रियाएं: वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, दिल्ली उच्च न्यायालय (ऑरीजिनल साइड) नियम, 2018 के प्रावधान और आदेशों के साथ समय-समय पर जारी व्यवहार-निर्देश, जब तक कि इन नियमों में कोई विसंगति न हो, बौ.सं.अनु. के समक्ष दाखिल होने वाली मूल याचिकाओं पर लागू होंगे।

8. रिट याचिका (सिविल) हेत् प्रक्रिया

- (i) बौ.सं.का./प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाली बौ.सं.अनु. के समक्ष दाखिल रिट याचिकाओं में सारांश और तिथियों और घटनाओं की सूची, पक्षकारों का ज्ञापन, रिट याचिका के ज्ञापन सहित चुनौती का आधार, मांगी गई प्रार्थना/राहत, समर्थन में शपथ-पत्र शामिल होंगे| प्रार्थना पत्र और शपथ-पत्र दोनों में याचिकाकर्ता को यह स्पष्ट करना होगा कि उस आक्षेपित आदेश के सम्बन्ध में यदि कोई अन्य उपाय का लाभ लिया है और यदि हां, तो उसमें पारित आदेश के साथ उसका ब्यौरा दें।
- (ii) आक्षेपित आदेश, जहां लागू/उचित हो, रिट याचिका के साथ संलग्न किया जाएगा।
- (iii) रिट याचिका (सिविल) पर लागू होने वाली प्रक्रियाएं: दिल्ली उच्च न्यायालय नियम और आदेश के साथ-साथ और समय समय पर जारी व्यवहार-निर्देश, जब तक कि उन नियमों में कोई विसंगति न हो, बौ.सं.अनु. के समक्ष दाखिल होने वाली रिट याचिकाओं पर लागू होंगे।

9. सिविल विविध मुख्य याचिका हेतु प्रक्रिया

- (i) बौ.सं.अ. विवाद से सम्बंधित वाणिज्यिक न्यायालयों या अन्य ज़िला न्यायालयों/सिविल न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाली सिविल विविध मुख्य याचिकाएं बौ.सं.अनु. के समक्ष दाखिल और सूचीबद्ध की जाएँगी | उक्त याचिकाओं के प्रारूप दिल्ली उच्च न्यायालय के नियम और आदेशों के अधीन होंगे।
- (ii) सिविल विविध मुख्य याचिकाओं में पक्षकारों का ज्ञापन, सारांश और तिथियों और घटनाओं की सूची, सिविल विविध मुख्य याचिकाओं का ज्ञापन, आदेश को चुनौती देने के आधार, मांगी गई प्रार्थना/राहत, शपथ पत्र और आक्षेपित आदेश शामिल होंगे।
- (iii) याचिकाकर्ता मूल कार्यवाहियों के प्रासंगिक अभिवचन, प्रासंगिक आदेश, विवाद्यक, यदि मामले में उनकी विरचना हुई हो, प्रासंगिक अंतरिम आवेदनों में किये गए अभिवचन और वे दस्तावेज़, जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा जताना चाहता हो, दाखिल करेगा |
 - बशर्ते, आक्षेपित आदेश में उल्लिखित अभिवचनों/दस्तावेजों (निर्णय विधि के अतिरिक्त) को अभिलेख पर लाने का हर संभव प्रयास किया जायेगा।
- (iv) न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों पर ही जवाब दाखिल होंगे, यदि आवश्यकता हो तो। हालांकि सुनवाई के दौरान या अन्यथा, विरोधी पक्ष को किसी भी संबंधित अभिलेख की प्रति, जिस पर वह निर्भर हों, प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

10. नियमित प्रथम अपील (नि.प्र.अ.) हेतु प्रक्रिया

- (i) नियमित प्रथम अपीलें दिल्ली उच्च न्यायालय के नियम और आदेशों/व्यवहार- निर्देशों के अधीन होंगी और अभिवचन उनमें निर्धारित किये गए प्रपत्रों/प्रारूपों के अनुसार दाखिल होंगे।
- (ii) अपीलों में पक्षकारों का ज्ञापन, सारांश और तिथियों और घटनाओं की सूची, नियमित प्रथम अपीलों का ज्ञापन, निर्णय/अपील की गई डिक्री / अपील में दी गई चुनौती के आधार, मांगी गई प्रार्थना/राहत शामिल होंगे। शपथ पत्र के साथ आक्षेपित निर्णय/डिक्री की सत्यापित प्रति परिसीमा की अवधि के भीतर दाखिल की जाएगी।
- (iii) नि.प्र.अ. के साथ मूल कार्यवाही का समस्त अभिलेख, जहां तक संभव हो, दाखिल किया जाएगा | बशर्ते, आक्षेपित आदेश में उल्लिखित अभिवचनों/दस्तावेजों (निर्णय विधि के अतिरिक्त) को अभिलेख पर शामिल करने का हर संभव प्रयास किया जायेगा।

(iv) न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों पर ही जवाब दाखिल होगा, यदि आवश्यकता हो । हालांकि सुनवाई के दौरान या अन्यथा, विरोधी पक्ष को किसी भी सुसंगत अभिलेख की प्रति, जिस पर भरोसा जताने के लिए इच्छुक हो, प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

11. आदेश से प्रथम अपील (आ.प्र.अ.) हेतु प्रक्रिया

- (i) आदेश से प्रथम अपील दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश द्वारा नियंत्रित होगी और अभिवचन उनमें नियत प्रपत्रों/प्रारूपों के अनुसार दाखिल होंगे।
- (ii) अपीलों में पक्षकारों का ज्ञापन, सारांश और तिथियों और घटनाओं की सूची, आदेश से प्रथम अपील का ज्ञापन, अपील किये गए अपील को चुनौती का आधार/अपील में चुनौती का आधार, मांगी गई प्रार्थना/राहत, आक्षेपित आदेश और शपथ पत्र शामिल होंगे।
- (iii) अपीलार्थी मूल कार्यवाहियों के सुसंगत अभिवचन, सुसंगत आदेश-पत्र, विवाद्यक, यदि मामले में विरचित किये गए हों, सुसंगत अंतरिम आवेदनों के अभिवचन और वे दस्तावेज़, जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा जताना चाहता हो, दाखिल करेगा |
 - बशर्ते, आक्षेपित आदेश में उल्लिखित अभिवचनों/दस्तावेजों (निर्णय विधि के अतिरिक्त) को अभिलेख पर शामिल करने का हर संभव प्रयास किया जायेगा।
- (iv) न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों पर ही जवाब दाखिल होगा, यदि आवश्यकता हो । हालांकि सुनवाई के दौरान या अन्यथा, विरोधी पक्ष को किसी भी संबंधित अभिलेख की प्रति, जिस पर वह भरोसा जताने का इच्छुक हो, प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

12. सिविल पुनरीक्षण याचिका (सि.पु.या.) हेतु प्रक्रिया

- (i) सिविल पुनरीक्षण याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय के नियम एवं आदेश/व्यवहार- निर्देश द्वारा नियंत्रित होंगी | अभिवचन उनमें नियत प्रपत्रों/प्रारूपों के अनुसार दाखिल होंगे।
- (ii) पुनरीक्षण याचिकाओं में पक्षकारों का ज्ञापन, सारांश और तिथियों और घटनाओं की सूची, पुनरीक्षण याचिका का ज्ञापन, आक्षेपित आदेश को चुनौती का आधार, मांगी गई प्रार्थना/राहत, आक्षेपित आदेश और शपथ पत्र शामिल होंगे।
- (iii) याचिकाकर्ता मूल कार्यवाहियों के सुसंगत अभिवचन, सुसंगत आदेश-पत्र, विवाद्यक, यदि मामले में विरचित हुए हों, सुसगंत अंतरिम आवेदनों के अभिवचन और वे दस्तावेज़, जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा जताना चाहता हो, दाखिल करेगा।
 - बशर्ते, आक्षेपित आदेश में उल्लिखित अभिवचनों/दस्तावेजों (निर्णय विधि के अतिरिक्त) को अभिलेख पर शामिल करने का हर संभव प्रयास किया जायेगा।
- (iv) न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों पर ही जवाब दाखिल होगा, यदि आवश्यकता हो । हालांकि सुनवाई के दौरान या अन्यथा, विरोधी पक्ष को किसी भी संबंधित अभिलेख की प्रति, जिस पर वह भरोसा जताने का इच्छुक हो, प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

13. सि. वि. (मुख्य), नि.प्र.अ., आ.प्र.अ. और सि.पु.या. हेतु अतिरिक्त प्रावधान

- (i) उपरोक्त नियम 9, नियम 10, नियम 11 और नियम 12 में उल्लिखित दस्तावेज़ों की प्रतियां याचिकाकर्ता/अपीलार्थी के अधिवक्ता के द्वारा इस आशय के स्व-प्रमाणन सहित दाखिल करना पर्याप्त होगा कि ऐसे सभी दस्तावेज़ विचारण न्यायालय की पत्रावली में दाखिल सम्बंधित मूल की सत्य प्रति हैं |
- (ii) सामान्यतः, न्यायालय याचिकाओं और अपीलों का निर्णयन याचिका/अपील के ज्ञापन और उसके साथ दाखिल अभिलेख में उठाए गए आधारों पर करेगा।

14. वाद हेतु प्रक्रिया

(i) बौ.सं.अनु. के समक्ष वाद वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 वाणिज्यिक वादों पर यथा लागू सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और दिल्ली उच्च न्यायालय (ओरिजिनल साइड) नियम, 2018 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होंगे। (ii) इन नियमों के अतिरिक्त, पेटेंट वाद और कार्यवाहियाँ पेटेंट वाद नियम, 2022 द्वारा नियंत्रित होंगी।

15. साक्ष्य दर्ज करना

यदि न्यायालय की राय में ऐसा करना उचित हो तो न्यायालय आदेश देगा:

- (i) न्यायालयों हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2021 के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य दर्ज करने हेतु;
- (ii) न्यायालय परिसरों के बाहर किसी भी स्थान पर साक्ष्य दर्ज करने हेतु;
- (iii) लोकल कमिश्नर द्वारा साक्ष्य दर्ज करने हेतु;
- (iv) वीडियोग्राफी तथा लिप्यंतरण तकनीक अथवा साक्ष्य दर्ज करने के किसी अन्य माध्यम के प्रयोग हेत् |

16. हॉट टर्बिंग अथवा साक्ष्य दर्ज करने के अन्य माध्यम

विशेषज्ञ द्वारा साक्ष्य की स्थिति में उसे दिल्ली उच्च न्यायालय (ओरिजनल साइड) नियम 2018 के अध्याय 11, नियम 6 के प्रावधान के अनुसार हॉट टर्बिंग जैसी कार्यप्रणाली अथवा इस प्रकार के अन्य माध्यम का सहारा लेकर दर्ज किया जा सकता है, जैसा न्यायालय उचित समझे|

17. खोज एवं प्रकटीकरण

- (i) दस्तावेज़ की खोज एवं प्रकटीकरण से सम्बंधित कार्यप्रणाली (प्ररिप्रश्न के माध्यम सहित) वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 द्वारा यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा नियंत्रित होगी;
- (ii) खोज को रोकने अथवा खोज की प्रक्रिया को बाधित करने वाले पक्षकारों को न्यायालय द्वारा निर्धारित जुर्माने के साथ दण्डित किया जाएगा|

18. पक्षकारों द्वारा साक्ष्य का संरक्षण

- (i) बौ.सं.अनु. के समक्ष कार्यवाही शुरू करने पर अथवा कार्यवाही शुरू करने के बारे में नोटिस प्राप्त होने पर, कार्यवाही से जुड़े पक्षकार कार्यवाही की विषय-वस्तु से सम्बंधित दस्तावेज़ी, मूर्त एवं इलेक्ट्रॉनिक सामग्री संरक्षित रखेंगे, जिस पर साक्ष्य के रूप में भरोसा किया जा सके:
- (ii) कार्यवाही शुरू होने से पूर्व, कोई पक्षकार ऐसे अन्य पक्षकारों को मुक़द्दमा रोको नोटिस जारी कर सकता है, जिसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई हो| विधिवत तामील हो जाने पर, ऐसे मुकद्दमा रोको नोटिस का प्राप्तकर्ता समस्त कार्यवाही की विषय-वस्तु से सम्बंधित दस्तावेज़ी, मूर्त एवं इलेक्ट्रॉनिक सामग्री संरक्षित करने के लिए बाध्य होगा, जो साक्ष्य के रूप में भरोसा किए जाने योग्य हो|

बशर्तें कि मुकद्दमा रोको नोटिस जारी करने वाले पक्षकार द्वारा उचित समय के भीतर मुक़द्दमा आरम्भ करना प्रत्याशित हो जो मुकद्दमा रोको नोटिस की तिथि से एक साल की अवधि पार न करे जिसके बाद साक्ष्य को संरक्षित करने की ऐसी जिम्मेदारी लागू नहीं हो पाएगी|

- (iii) उपरोक्त खंड (i) अथवा (ii) के अंतर्गत उत्पन्न ऐसी सामग्री को संरक्षित करने की ज़िम्मेदारी की तिथि से ऐसी सामग्री को इस प्रकार से संरक्षित किया जायेगा ताकि यह सुनिचित किया जा सके कि वह अपरिवर्तनीय रहे अथवा उसके साथ छेड़-छाड़ न किया जा सके;
- (iv) ऐसी सामग्री को मुकद्दमे की अवधि सहित अपीलीय कार्यवाही, यदि कोई हो, के लिए संरक्षित किया जाएगा| अपील दाखिल न होने की स्थिति में, मूल कार्यवाही की समाप्ति की तिथि से केवल छह (6) महीने पूरे होने पर ऐसी सामग्री के निपटान के लिए पक्षकार स्वतंत्र होंगे;
- (v) सिविल और क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत उपायों के अतिरिक्त इस नियम के अनुपालन में विफल होने पर न्यायालय द्वारा निर्धारित जुर्माने के साथ दण्डित किया जायेगा |

स्पष्टीकरण:

नियम 18 के प्रयोजन हेतु संरक्षित रखे जाने वाले दस्तावेज़ी, मूर्त तथा इलेक्ट्रॉनिक सामग्री में पत्र, ज्ञापन, आतंरिक एवं बाह्य पत्राचार, किसी भी प्रकार का ग्राफ़िक अभ्यावेदन, चित्र, ध्वनि, तथा कार्यवाही की विषय-

वस्तु से सम्बंधित किसी भी माध्यम में जमा डेटा सहित मूर्त अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेज़ शामिल होंगे |

19. गोपनीयता क्लब तथा गोपनीय सूचना को धुंधला करना

(i) किसी कार्यवाही में किसी भी समय न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय (ओरिजिनल साइड) नियम, 2018 के अनुसार दस्तावेज़ सहित न्यायालय में दाखिल गोपनीय सूचना के संरक्षण तथा आदान-प्रदान हेतु यथोचित गोपनीयता क्लब, जिसमें अधिवक्ताओं (बाह्य एवं आंतरिक), विशेषज्ञों के साथ पक्षकारों के नामित प्रतिनिधि शामिल होंगे, बनाएगा अथवा उपाय करेगा;

क्लब में नियुक्त पक्षकारों के ऐसे नामित प्रतिनिधि अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ वे व्यक्ति होंगे जो सम्बंधित पक्षकारों के दैनिक व्यावसायिक कार्यों एवं प्रबंधन का नियंत्रण न कर रहे हों या उसमें सक्रिय न हों ताकि दी गई सूचना की सत्यता बनी रही |

इस प्रकार क्लब में शामिल सदस्य कार्यवाहियों के दौरान उन्हें मिली अथवा पहुंची गोपनीय अथवा संवेदनशील सूचना को कहीं भी, तृतीय पक्षकारों को सम्मिलित करते हुए, जाहिर करने, साझा करने अथवा उसका लाभ उठाने से बचने हेतु बाध्य होंगे;

- (ii) आवेदन के माध्यम से किये गए अनुरोध पर न्यायालय ऐसी किसी सूचना (दस्तावेज़ सहित) को धुंधला करने का निर्देश दे सकता है, जिसे वह गोपनीय समझे;
- (iii) यदि कोई धुंधला अभिवचन/दस्तावेज़ गोपनीय रूप में दाखिल करने की मांग की जाती है, तो धुंधला करने के ऐसे दावे का समर्थन करने वाले आवेदन के साथ बंद लिफाफे में उसका साफ़ संस्करण दाखिल किया जाए।

20. नुकसानी/लाभ का लेखा-जोखा

नुकसानी/लाभ के लेखे-जोखे की मांग करने वाला पक्षकार दावा की गई राशि और उसके संबंध में मौलिक तथ्यों/खाता विवरणों सिहत ऐसे दावे का समर्थन करने के लिए पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेजी और/या मौखिक का एक उचित अनुमान देगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय नुकसानी की राशि निर्धारित करते समय निम्न कारकों पर विचार करेगा:

- (i) क्षतिग्रस्त पक्षकार द्वारा खोया गया लाभ;
- (ii) उल्लंघन करने वाले पक्षकार द्वारा अर्जित किया गया लाभ;
- (iii) यदि विषयगत बौ.सं.अ. का प्रयोग विधिवत अधिकृत किया गया होता तो रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क के माध्यम से क्षतिग्रस्त पक्षकार द्वारा अर्जित आय की राशि;
- (iv) उल्लंघन की अवधि;
- (v) उल्लंघन का अंतर्निहित इरादा/उपेक्षा स्तर;
- (vi) क्षतिग्रस्त पक्षकार द्वारा वहन किए गए नुकसान को कम करने के लिए उल्लंघन करने वाले पक्षकार का आचरण;

नुकसानी के आकलन में, इन नियमों के नियम 31 के प्रावधान के अनुसार, न्यायालय विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है।

21. अभिवचन के साथ अधिकृत प्रतिनिधि के शपथ-पत्र और प्रासंगिक दस्तावेज़ दाखिल होंगे

सभी अभिवचनों के साथ अधिकृत प्रतिनिधि/संबंधित पक्षकारों का शपथ-पत्र और बोर्ड संकल्प तथा मुख्तारनामा जैसे अनुमति स्थापित करने वाले दस्तावेज दाखिल होंगे।

22. अग्रिम प्रति

बौ.सं.अनु. के समक्ष दाखिल सभी मामलों में, ईमेल के माध्यम सिहत तामील के पते पर, अग्रिम प्रति, प्रत्यर्थीगण और उन अधिवक्ताओं/अभिकर्ताओं को कम से कम दो कार्य दिवस पहले, तामील की जाएगी, जिन्होंने बौ.सं.का. या विचारण न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष, जैसा भी मामला हो, प्रत्यर्थीगण की पैरवी की हो। इस प्रकार प्रदान की गई अग्रिम प्रति के साथ सूचीबद्ध होने की संभावित तिथि के बारे में सूचित किया

जाएगा। अग्रिम प्रति तामील होने पर, पक्षकार/अधिवक्तागण/ अभिकर्तागण/ प्राधिकारी को सुनवाई की पहली तारीख को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। शीघ्र निपटान के लिए, यदि न्यायालय की राय में आगे किसी नोटिस की आवश्यकता न हो और यदि तामील का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो सामान्यतया आगे कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा और सूचीबद्ध होने की पहली तारीख को मामले की सुनवाई करके उसका निपटान किया जा सकता है।

बशर्ते, किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनज़र, और आवेदन पर, न्यायालय अग्रिम तामील से छूट दे सकता है।

23. बौ.सं.का. द्वारा अधिवक्ता का नामांकन

संबंधित बौ.सं.का. बौ.सं.अनु. के समक्ष पेश होने और तलब किये जाने पर, अभिलेख पेश करने के लिए अपने अधिवक्ता नामित कर सकते हैं।

24. आदेशिका शुल्क

अपीलकर्ता और याचिकाकर्ता को वादी और प्रत्यर्थी को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने के लिए आवश्यक संशोधनों के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय (ओरिजनल साइड) नियम 2018 के अनुसार आदेशिका शुल्क एकमुश्त होगा।

25. अन्य पक्षकार द्वारा हस्तक्षेप

बौ.सं.अनु. के समक्ष सूचीबद्ध मामलों में, अन्य पक्षकारों द्वारा हस्तक्षेप की अनुमित स्वतः या किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर दी जा सकती है जब तक कि विधि द्वारा निषिद्ध न हो। ऐसा व्यक्ति न्यायालय के समक्ष हित का स्वरूप बताते हुए आवेदन के माध्यम से हस्तक्षेप करने की मांग करेगा। न्यायालय, यदि आवश्यक हो, तो सभी संबंधित पक्षकारों को सुनने के बाद, और ऐसे नियमों और शर्तों पर, जो वह उचित समझे, मना कर सकता है या अनुमित दे सकता है।

26 बौ.सं.अ. विषय-वस्तुओं या मामलों या कार्यवाहियों या विवादों का समेकन

जहां एक ही अथवा सम्बंधित विषय-वस्तु के सम्बन्ध में एकाधिक कार्यवाहियां हैं, चाहे वह कार्यवाहियाँ एक ही पक्षकार के बीच हों अथवा नहीं, न्यायालय के पास कार्यवाहियों, सुनवाइयों के समेकन को निर्देशित करने, साक्ष्य, साझा-विचारण एवं साझा निर्णयन को समेकित रूप से दर्ज करने का निर्देश देने, जहां भी उपयुक्त हो, की शक्ति एवं विवेक होगा | यदि न्यायालय की राय है कि वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को बौ.सं.अनु. के समक्ष लंबित किसी मामले के साथ समेकित किया जाना है तो यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24 के तहत ऐसे मामले के स्थानान्तरण और समेकन हेतु स्थानांतरण की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

27. संक्षिप्त न्यायनिर्णयन

बौ.सं.अनु. के समक्ष मामलों में न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 13-क में समाविष्ट सिद्धांतों के समान वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत वाणिज्यिक वाद में यथा लागू संक्षिप्त निर्णय की मांग करने वाले किसी विशेष आवेदन को दाखिल करने की आवश्याकता के बिना संक्षिप्त निर्णय पारित कर सकता है।

28. विधियों का अनुप्रयोग

बौ.स.अनु., इसके समक्ष सूचीबद्ध मामलों पर, जैसे भी लागू हों, निम्नलिखित प्रावधानों को लागू करेगा :

- (i) बौ.स.अ. विषय-वस्तु(ओं) से संबंधित मामलों में वाद और प्रतिवाद के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015; और
- (ii) पेटेंट संबंधी विवादों और कार्रवाइयों के लिए पेटेंट वाद नियम, 2022।

29. सामान्य खंड

जिन प्रक्रियाओं हेतु इन नियमों में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया हो, सामान्य रूप से जहां भी लागू हो, उन पर वाणिज्यिक विवादों पर यथा लागू सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और दिल्ली उच्च न्यायालय (ऑरीजिनल साइड) नियम 2018 द्वारा नियंत्रित होंगी |

30. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

इन नियमों के प्रावधानों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई आती है तो ऐसी कठिनाई दूर करने हेतु आवश्यकता अनुसार न्यायालय आदेश द्वारा इन नियमों के असंगत न होते हुए प्रावधान बनाएगा|

31. विशेषज्ञ पैनल

न्यायालय किसी बौद्धिक संपदा अधिकार की विषय-वस्तु में आवश्यकता अनुसार विवाद की विषय-वस्तु से सम्बंधित विशेषज्ञ(यों) (व्यक्ति एवं संस्था सिहत) की सहायता ले सकता है| विशेषज्ञ की राय न्यायालय के लिए प्रत्ययकारी होगी, बाध्यकारी नहीं| बौद्धिक संपदा अनुभाग के पास न्यायालय की सहायता के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल होगा और जिस पैनल की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी| विशेषज्ञ(यों) का पारिश्रमिक बौद्धिक संपदा अनुभाग द्वारा तय किया जायेगा | नियुक्ति से पूर्व विशेषज्ञ के द्वारा वचन दिया जाएगा कि विवाद की विषय-वस्तु से उसके हित का कोई टकराव नहीं है और वह न्यायालय की निष्पक्ष ढंग से सहायता करेगा/करेगी |

बशर्ते की विशेषज्ञ(यों) द्वारा पालन किया जाने वाला प्रोटोकॉल बौद्धिक सम्पदा अनुभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा|

32. विधि शोधकर्ता

- (i) बौद्धिक संपदा अनुभाग के न्यायाधीशगण तकनीकी योग्यता वाले अतिरिक्त विधि शोधकर्ताओं की सहायता लेंगे|
 ऐसे विधि शोधकर्ता बौद्धिक संपदा अनुभाग के विधि शोधकर्ताओं के सामान्य पूल का हिस्सा होंगे | बौद्धिक
 संपदा अनुभाग की हर न्यायपीठ के लिए कम से कम दो विधि शोधकर्ता होंगे| उक्त विधि शोधकर्ता बौद्धिक
 संपदा अनुभाग से जुड़े होंगे, संबंधित न्यायधीश विशेष से नहीं;
- (ii) ऐसे विधि शोधकर्ता(ओं) के पास किसी तकनीकी क्षेत्र में कोई शैक्षिक डिग्री होगी अथवा बौद्धिक संपदा अधिकार की विषय-वस्तु में विशेषज्ञता होगी अथवा बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में अनुभव होगा;
- (iii) ऐसे विधि शोधकर्ता(ओं) की नियुक्ति मुख्य न्यायधीश द्वारा नामित समिति द्वारा होगी;
- (iv) दिल्ली उच्च न्यायालय में नियुक्त अन्य विधि शोधकर्ताओं पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ही विधि शोधकर्ता नियुक्त किये जायेंगे | ऐसे विधि शोधकर्ता (ओं) का पारिश्रमिक सामान्यतया दिल्ली उच्च न्यायालय के विधि शोधकर्ताओं को मिलने वाला वर्तमान पारिश्रमिक होगा | लेकिन असाधारण मामलों में मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतर पारिश्रमिक की मंजूरी दी जा सकती है;
- (v) ऐसी योग्यता वाले विधि शोधकर्ता बौद्धिक संपदा अधिकार की विषय-वस्तु से जुड़े मामलों से संबंधित खंडपीठ की सहायता के लिए भी नियुक्त किए जा सकते हैं;
- (vi) ऐसे विधि शोधकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय नियमों के अंतर्गत न्यायाधीशों की सहायता हेतु नियुक्त विधि शोधकर्ताओं के अतिरिक्त होंगे;
- (vii) नियुक्ति से पूर्व विधि शोधकर्ता(ओं) द्वारा वचन दिया जाएगा कि विवाद की विषय-वस्तु से उसके हित का कोई टकराव नहीं है और वह न्यायालय की निष्पक्ष ढंग से सहायता करेगा/करेगी|

33. लिखित निवेदन तथा मौखिक निवेदन की समय सीमा हेतु सख्त दिशानिर्देश

न्यायालय मौखिक बहस के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व अग्रिम लिखित निवेदन दाखिल करने का निर्देश दे सकता है | न्यायालय जैसा उचित समझे मौखिक बहस के लिए विशेष समयाविध तथा सीमित समय सीमा भी निर्धारित कर सकता है |

34. पेटेंट/व्यापार चिन्ह अभिकर्ता

पेटेंट अभिकर्ता अथवा व्यापार चिन्ह अभिकर्ता के साथ – साथ कोई अन्य व्यवसायी/अकादमिक सदस्य, को जिसे विवाद की उक्त विषय-वस्तु का ज्ञान हो, बौ.सं.अनु. के समक्ष, न्यायालय द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने पर, सुनवाई में भाग लेने व न्यायालय की सहायता हेतु पक्षकारों की ओर से अधिवक्ता/विधि व्यवसायी के साथ पेश होने का अधिकार होगा।

35. लागत

बौद्धिक संपदा अनुभाग के समक्ष मामलों में, दिल्ली उच्च न्यायालय (ओरिजिनल साइड) नियम 2018, में पहले से किये गये प्रावधान के समान न्यायालय द्वारा वास्तविक लागत दी जाएगी।

36. सुलभता तथा उचित सुविधा

- (i) बौद्धिक संपदा अनुभाग के समक्ष कुछ भी कम से कम 300 डॉट पर इंच (डीपीआई) के इमेज रिजॉल्यूशन सहित ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉगनिशन समर्थित पोर्टेबल डॉक्युमेंट फॉरमेट (पीडीएफ) में दाखिल किया जाएगा|
- (ii) बौद्धिक संपदा अनुभाग के समक्ष कार्यवाही में भाग लेने के एकमात्र उद्देश्य से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत मान्यता अनुसार विशिष्ट दिव्यांगता वाले ऐसे व्यक्तियों को उचित सुविधा प्रदान कराने के लिए न्यायालय स्वतः अथवा आवेदन के माध्यम से किये गए निवेदन पर ऐसे निर्देश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे |

37. मध्यस्थता तथा शीघ्र निष्पक्ष मूल्यांकन (ई.एन.ई.)

- (i) किसी भी समय किसी कार्यवाही में यदि न्यायालय की यह राय हो कि पक्षकारगण को मध्यस्थता की संभावना ढूंढनी चाहिए तो न्यायालय, योग्य मध्यस्थ अथवा बौद्धिक संपदा अधिकार की विषय-वस्तु में प्रशिक्षण या अनुभव वाले मध्यस्थों सहित मध्यस्थों का एक पैनल नियुक्त करेगा। जब न्यायालय की यह राय हो कि सौहार्दपूर्ण समाधान तलाश करने की ज़रूरत है तो पक्षकारों की सहमति आवश्यक नहीं होगी;
- (ii) ऐसी मध्यस्थता दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र के अंतर्गत और जहाँ ज़रूरी हो प्रासंगिक बौद्धिक संपदा कार्यालय के सहयोग से आयोजित की जाएगी|
- (iii) किसी भी स्तर पर न्यायालय योग्य तथा स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता को नियुक्त करके ई.एन.ई. का निर्देश भी दे सकता है यदि इसकी राय हो कि ऐसी ई.एन.ई. से शीघ्र समाधान में सहायता मिलेगी;
- (iv) मध्यस्थता/ईएनई कार्यवाही न्यायालय के समक्ष कानूनी कार्यवाही के साथ साथ चल सकती है ताकि अधिनिर्णय में विलंब न हो।

38. बौद्धिक संपदा अनुभाग के आदेशों से अपील

अपीलें, यदि सुनवाई योग्य हों, तो बौ.सं.अनु. की खंडपीठ के समक्ष निम्नतः पेश की जा सकेंगी:

- (i) लेटर्स पेटेंट अपील के रूप में; अथवा
- (ii) वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 के अंतर्गत वाणिज्यिक अपीलीय अनुभाग में अपील के रूप में।

39. विलंब के लिए माफ़ी

प्रासंगिक परिसीमा अवधि के बाद किसी याचिका, अपील, अथवा अन्य कार्यवाही दाखिल करने में विलंब, यदि कोई हो, की स्थिति में, न्यायालय के पास परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के समतुल्य सिद्धांतों पर विलंब को माफ़ करने की शक्ति होगी बशर्ते कि ऐसे विलंब पर सफाई देने के लिए उचित कारण दर्शाते हुए आवेदन दाखिल किया जाए।

40. बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड से मामलों का स्थानांतरण

बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड से दिल्ली उच्च न्यायालय में प्राप्त विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत सभी मामले बौद्धिक संपदा अनुभाग के समक्ष दर्ज और सूचीबद्ध किए जाएंगे तथा इन्हें इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार नामपद्धित प्रदान की जाएगी बौद्धिक संपदा अनुभाग उक्त मामलों के निपटान तथा अधिनिर्णय हेतु इन नियमों का व्यापक रूप से यथासंभव पालन करेगा |

<u>अनुसूची-I</u>

<u>प्रपत्र-I</u>

[व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 47/57/125 के अंतर्गत प्रपत्र]

(न्यायालय शुल्क:)

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

(बौद्धिक संपदा अनुभाग - ऑरिजिनल सिविल अधिकारिता)

सि.ऑ. (वा.-बौ.सं.अनु./टी.एम.)

.....याचिकाकर्ता(गण)/आवेदक(गण)

(याचिकाकर्ता(गण)/आवेदक(गण) का पूरा नाम, पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर। विदेशी याचिकाकर्ता(गण)/आवेदक(गण) की स्थिति में, भारत में तामील हेतु पता प्रदान करें)

बनाम

.....प्रत्यर्थी(गण)

(प्रत्यर्थी(गण) का पूरा नाम, पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर। विदेशी प्रत्यर्थी(गण) की स्थिति में, भारत में तामील हेतु पता प्रदान करें)

हेतु व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 47/57/125 के

अंतर्गत याचिका/आवेदन

(लागू न होने वाले प्रावधान को काट दें)

उपरोक्त नामित याचिकाकर्ता(गण)/आवेदक(गण) विनम्रतापूर्वक निम्नानुसार निवेदन करते हैं :

- 1. अधिवक्ता का पूरा नाम
- 2. अधिवक्ता का पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर
- 3. व्यापार चिन्ह अभिकर्ता, यदि कोई हो, का नाम व पता
- 4. व्यापार चिन्ह जिसे रद्द/परिवर्तित/परिशोधित : किया जाना है-
 - (i) पंजीकरण सं.
 - (ii) शब्द चिन्ह/आकृति चिन्ह (चिन्ह, जैसा कि पंजीकरण प्रमाणपत्र में प्रदर्शित है, लगाएं)
 - (iii) आवेदन दाखिल करने की तिथि
 - (iv) व्यापार चिन्ह जरनल में विज्ञापन की तिथि व उसका विवरण
 - (v) दाखिल विरोध(धों), यदि कोई हो, का विवरण

	(vi) पं	जीकरण प्रदान करने की तिथि	
	(vii) न	त्रीनीकरण विवरण	
5.	प्रार्थना किय	ाा गया अनुतोष व प्रासंगिक धारा(एँ)	:
6.	पंजीकृत व्य	ापार चिन्ह का स्वामी	:
7.	व्यापार चिग् विवरण	न्ह के पूर्व-हितधारी, यदि कोई हो, का	:
8.		न्ह की वर्तमान स्थिति (व्यापार चिन्ह । की वेबसाइट से प्रिंट आउट संलग्न	:
9.	आवेदन में की गई ति ^{धि}	व्यापार चिन्ह हेतु प्रयोक्ता द्वारा दावा थे	:
10.	अस्वीकरण	/अन्य शर्तें, यदि कोई हो	:
11.	याचिकाकत	र्ता का हित, संक्षेप में	:
12.	अनुतोष म	ांगने के आधार	:
13.	व्यापार चि	र्ता/आवेदक की जानकारी में इस न्ह के संबंध में लंबित किन्हीं अन्य iं का अधिकरण सहित विवरण	:
14.	प्रार्थना		:
			[याचिकाकर्ता(गण)/आवेदक(गण) के अधिवक्ता का नाम व हस्ताक्षर]
15.	सत्यापन		:
			[याचिकाकर्ता(गण)/आवेदक(गण) के हस्ताक्षर]
16.	समर्थन में	शपथपत्र	:

दस्तावेजों की सूची

- 1. आक्षेपित चिन्ह के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गए पंजीकरण प्रमाणपत्र/विधिक कार्यवाही प्रमाणपत्र की प्रति। यदि यह उपलब्ध न हो, व्यापार चिन्ह जरनल व पंजीकरण पर लागू होने वाली शर्तों को दर्शाने वाले किन्हीं दस्तावेजों सहित प्रमाणपत्र की प्रति, दाखिल की जाए |
- 2. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री की वेबसाइट से प्रिंट की गई व्यापार चिन्ह की वर्तमान स्थिति।
- 3. कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज।

टिप्पणी:

- 1. सभी अभिवचनों के साथ संबंधित पक्षकार के अधिकृत प्रतिनिधि का शपथपत्र होगा।
- 2. याचिका के साथ प्राधिकार सिद्ध करने वाले दस्तावेज जैसे मुख्तारनामा, बोर्ड का संकल्प आदि होंगे |

<u>प्रपत्र-II</u>	
[व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 91 तथा व	व्यापार चिन्ह नियम, 2017 के नियम 156 के अंतर्गत प्रपत्र]
	(न्यायालय शुल्क:)
दिल्ली उच्च न्य	गयालय: नई दिल्ली
(बौद्धिक संपदा अनुभ	ाग - अपीलीय अधिकारिता)
सि.अ. (वाबौ.सं.अनु./टी.एम	T.) /
	अपीलार्थी(गण)
(अपीलार्थी(गण) का पूरा नाम, पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर। विदेशी अपीलार्थी(गण) की स्थिति में, भारत मे तामील हेतु पता प्रदान करें)	
5	वनाम
	प्रत्यर्थी(गण)
(प्रत्यर्थी(गण) का पूरा नाम, पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर विदेशी प्रत्यर्थी(गण) की स्थिति में, भारत में तामील हेत् पता प्रदान करें)	
व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 91 तथा व्यापार द्वारा पारित आदेश ी	•
ु उपरोक्त नामित अपीलार्थी(गण) विनम्रतापूर्वक निम्नानुसार	•
() (
1. अधिवक्ता का पूरा नाम	:
2. अधिवक्ता का पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर	:
 व्यापार चिन्ह अभिकर्ता, यदि कोई हो, का नाम व पता 	:
 आक्षेपित आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की तिथि 	:
5. आक्षेपित आदेश को पारित करने वाला प्राधिकरण	:
 वह प्रावधान जिसके अंतर्गत आक्षेपित आदेश पारित हुआ 	:
7. परिसीमन की अवधि	:
 अपील दाखिल करने में हुई देरी, यदि कोई हो, तथा उसका कारण 	:
9. अपील के आधार	:
 अपीलार्थी की जानकारी में इस व्यापार चिन्ह के संबंध में लंबित किन्हीं अन्य कार्यवाहियों का विवरण 	
11. प्रार्थना	<u>:</u>

[अधिवक्ता/अपीलार्थी(गण) का नाम व हस्ताक्षर]

दस्तावेजों की सूची

- 1. बौ.सं.का. द्वारा पारित आक्षेपित आदेश की प्रति।
- 2. कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जो बौ.सं.का. के अभिलेख का भाग हों।

टिप्पणी:

- 1. सभी अभिवचनों के साथ संबंधित पक्षकार के अधिकृत प्रतिनिधि का शपथपत्र होगा |
- 2. अपील के साथ प्राधिकार सिद्ध करने वाले दस्तावेज जैसे मुख्तारनामा, बोर्ड का संकल्प आदि होंगे।

प्रपत्र-|||

[प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 19क के अंतर्गत प्रपत्र]

(न्यायालय शुल्क:

)

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

(बौद्धिक संपदा अनुभाग – ऑरिजिनल सिविल अधिकारिता)

सि.ऑ. (वा.-बौ.सं.अनु./सी.आर.)

.....याचिकाकर्ता(गण)/

(शिकायतकर्ता(गण) का पूरा नाम, पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर। विदेशी शिकायतकर्ता(गण) की स्थिति में, भारत में तामील हेतु पता प्रदान करें) शिकायतकर्ता(गण)

बनाम

.....प्रत्यर्थी(गण)

(प्रत्यर्थी(गण) का पूरा नाम, पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर। विदेशी प्रत्यर्थी(गण) की स्थिति में, भारत में तामील हेतु पता प्रदान करें)

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 19क के अंतर्गत याचिका/शिकायत उपरोक्त नामित याचिकाकर्ता(गण)/शिकायतकर्ता(गण) विनम्रतापूर्वक निम्नानुसार निवेदन करते हैं :

- 1. अधिवक्ता का पूरा नाम :
- 2. अधिवक्ता का पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर
- स्वामी/रचनाकार/समनुदेशक का नाम, पता, ई- : मेल, मोबाइल नंबर व राष्ट्रीयता
- 4. कृति का विवरण (साहित्यिक, नाटकीय, : संगीतात्मक, कलात्मक, चलचित्र फिल्म, ध्वन्यंकन), जिसमें निम्न शामिल हैं:

		याचिकाकर्ता(गण)/
	सि.ऑ. (वाबौ.सं.अनु./सी.आ	₹.) /
	(बौद्धिक संपदा अनुभाग – अ	गॉरिजिनल सिविल अधिकारिता)
	दिल्ली उच्च न्य	ायालय: नई दिल्ली
•	,	(न्यायालय शुल्क:)
<u>प्रपत्र-l</u>]		31क/31ख/31ग/31घ/32/32क/33क के अंतर्गत प्रपत्र]
2.	याचिका के साथ प्राधिकार सिद्ध करने वाले दस्ताव	
टिप्पर्ण 1.	ो : सभी अभिवचनों के साथ संबंधित पक्षकार के अधि	कत प्रतिनिधि का शुप्रथपत्र होगा।
	. कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज।	
	नों की सूची . कर्तव्यभार विलेख की प्रति संलग्न करें।	
12	. समर्थन में शपथपत्र	:
	. सत्यापम	
11	. सत्यापन	नाम व हस्ताक्षर]
		[याचिकाकर्ता(गण)/शिकायतकर्ता(गण) के अधिवक्ता का
10	. प्रार्थना	<u>:</u>
9.	संदेय स्वामिस्व, यदि कोई हो तथा उसका औचित्य	:
8.	शिकायतकर्ता(गण) की जानकारी में इस कृति के संबंध में लंबित किन्हीं अन्य कार्यवाहियों का विवरण	
7.	कर्तव्यभार के निरसन के आधार या कर्तव्यभार संबंधी विवाद की प्रकृति	:
6.	कर्तव्यभार की तिथि (कर्तव्यभार विलेख की प्रति संलग्न करें)	:
5.	यदि कृति में प्रतिलिप्याधिकार पंजीकृत है, पंजीकरण का विवरण उपलब्ध कराएं	:
	iv. प्रथम व अंतिम प्रकाशन का देश	
	iii. प्रथम व अंतिम प्रकाशन का वर्ष	
	ii. प्रकाशक का नाम, पता व राष्ट्रीयता	
	i. कृति का शीर्षक	

(याचिकाकर्ता(गण)/शिकायतकर्ता(गण)/

शिकायतकर्ता(गण)/आवेदक(गण)

आवेदक(गण) का पूरा नाम, पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर। विदेशी याचिकाकर्ता(गण)/शिकायतकर्ता(गण)/ आवेदक(गण) की स्थिति में, भारत में तामील हेतु पता प्रदान करें)

बनाम

.....प्रत्यर्थी(गण)

(प्रत्यर्थी(गण) का पूरा नाम, पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर। विदेशी प्रत्यर्थी(गण) की स्थिति में, भारत में तामील हेतु पता प्रदान करें)

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 31/31क/31ख/31ग/31घ/32/32क/ 33क के अंतर्गत याचिका/शिकायत/आवेदन

(लागू न होने वाले प्रावधान को काट दें)

उपरोक्त नामित याचिकाकर्ता(गण)/शिकायतकर्ता(गण)/आवेदक(गण) विनम्रतापूर्वक निम्नानुसार निवेदन करते हैं :

- 1. अधिवक्ता का पूरा नाम
- 2. अधिवक्ता का पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर
- 3. स्वामी/रचनाकार, यदि ज्ञात हो, का नाम, पता, ई-मेल, मोबाइल नंबर व राष्ट्रीयता। यदि स्वामी/रचनाकार की मृत्यु हो चुकी है, उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों का विवरण, यदि याचिकाकर्ता(गण)/शिकायतकर्ता (गण)/आवेदक(गण) को ज्ञात हो
- 4. प्रतिलिप्याधिकार सोसाइटी का विवरण, यदि लागू हो
- 5. कृति का विवरण (साहित्यिक, नाटकीय, संगीतात्मक, कलात्मक, चलचित्र फिल्म, ध्वन्यंकन), जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है / प्रशुल्क देय है:
 - i. कृति का शीर्षक
 - ii. प्रकाशक का नाम, पता व राष्ट्रीयता
 - iii. कृति प्रकाशित है अथवा अप्रकाशित
 - iv. प्रथम व अंतिम प्रकाशन का वर्ष
 - v. प्रथम व अंतिम प्रकाशन का देश
- 6. यदि कृति(याँ) जिसके लिए अनुज्ञप्ति मांगी गई है, एक संग्रह/रिपोर्ताज या उसका एक भाग है, तब संपूर्ण संग्रह/रिपोर्ताज के प्रतिलिप्याधिकार के स्वामी का नाम

- 7. प्रतिलिप्याधिकार सोसाइटी द्वारा प्रकाशित : प्रश्लक स्कीम, यदि लागू हो, का विवरण
- 8. यदि अनुज्ञप्ति का आवेदन प्रतियों के पुनः प्रस्तुतीकरण, प्रकाशन अथवा पुनः प्रकाशन/जारी किए जाने हेतु किया गया है
 - वह माध्यम जिसके द्वारा प्रतियाँ जारी की जाएगी –प्रिंट/इलैक्ट्रॉनिक/डिजिटल/ ऑनलाइन
 - ii. प्रकाशित होने वाली कृति का अनुमानित मूल्य
 - iii. कृति की प्रत्येक प्रति हेतु प्रस्तावित फुटकर मूल्य
 - iv. स्वामी द्वारा वर्तमान में ली जा रही स्वामिस्व की दर, यदि उपलब्ध हो अथवा ऐसी कृतियों हेतु स्वामिस्व के प्रचलित मानक
 - v. शिकायतकर्ता(गण) द्वारा अंतिम बार अदा की गई स्वामिस्व की दर, यदि लागू हो
 - vi. शिकायतकर्ता(गण) द्वारा प्रतिलिप्याधिकार स्वामी को अदा किए जाने हेतु उचित समझी जाने वाली स्वामिस्व की दर
 - vii. स्वामिस्व अदा करने हेतु शिकायतकर्ता(गण) के पास उपलब्ध साधन
 - viii. प्रस्तावित प्रकाशन की भाषा
- 9. यदि अनुज्ञप्ति का आवेदन सार्वजनिक प्रस्तुति हेतु किया गया है
 - ं. आवेदन की गई अनुज्ञप्ति के अंतर्गत कृति
 की प्रस्तुतियों की प्रस्तावित संख्या
 - ii. प्रस्तुति के प्रस्तावित स्थान, तिथि(याँ) व स्थल
 - iii. प्रत्येक प्रस्तुति का अनुमानित मूल्य
 - iv. स्वामी द्वारा तुलनीय प्रस्तुति हेतु वर्तमान में लिये जा रहे स्वामिस्व की दर, यदि उपलब्ध हो अथवा ऐसी कृतियों हेतु स्वामिस्व के प्रचलित मानक
 - v. आवेदक(गण) द्वारा प्रतिलिप्याधिकार स्वामी को अदा किए जाने हेतु उचित समझे जाने वाली स्वामिस्व की दर

- vi. स्वामिस्व अदा करने हेतु आवेदक(गण) के पास उपलब्ध साधन
- 10. यदि अनुज्ञप्ति का आवेदन प्रसारण द्वारा सार्वजनिक रूप से संसूचित करने हेतु किया गया है
 - प्रसारण की अवधि व इसके प्रसारण की प्रस्तावित संख्या
 - ii. चैनलों के नाम व प्रसारण क्षेत्र
 - iii. ऐसी कृतियों हेतु स्वामिस्व के प्रचलित मानक
 - iv. आवेदक(गण) द्वारा प्रतिलिप्याधिकार स्वामी को अदा किए जाने हेतु उचित समझे जाने वाली स्वामिस्व की दर
 - v. स्वामिस्व अदा करने हेतु आवेदक(गण) के पास उपलब्ध साधन
- 11. धारा 31क(2) के अनुसार समाचारपत्र में प्रकाशन का विवरण
- 12. धारा 31ख के अनुसार याचिकाकर्ता(गण)/शिकायतकर्ता (गण)/आवेदक(गण) द्वारा विकलांग व्यक्तियों हेतु की जाने वाली गतिविधियों की प्रकृति, यदि लागू हो
- 13. धारा 31ग(2) या 31घ(2) के अंतर्गत दिए गए पूर्व नोटिस का विवरण, यदि लागू हो
- 14. क्या मांगी गई अनुज्ञप्ति ऐसी कृति के संबंध में है, जो धारा 32 के अंतर्गत भारतीय कृति नहीं है, पढ़ाने, छात्रवृत्ति, शोध, सुनियोजित शिक्षण संबंधी कार्यों हेतु है या किसी विशेष क्षेत्र के विशेषज्ञों तक एक विशेषीकृत, तकनीकी या वैज्ञानिक शोध के परिणामों के प्रसार हेतु है?
- 15. क्या याचिकाकर्ता(गण)/ शिकायतकर्ता(गण)/आवेदक (गण) ने प्रतिलिप्याधिकार के स्वामी से अनुज्ञप्ति की मांग की? यदि ऐसा है तो उसका विवरण
- 16. क्या कृति की प्रतियाँ भारत में उपलब्ध हैं या भारत में इनकी बिक्री की जा रही है?
- 17. अनिवार्य अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु / प्रशुल्क स्कीम के विरोध हेतु आधार

1	8.	प्रार्थना
---	----	-----------

[PART II	<u>I</u>	DELHI GAZETTE	: EXTRAORDINARY
19.	सत्यापन		:
			- [याचिकाकर्ता(गण)/शिकायतकर्ता(गण)/ आवेदक(गण) के हस्ताक्षर]
20.	समर्थन में शपथपत्र		:
दस्तावेजों	की सूची		
1.	कर्तव्यभार विलेख की प्रति	ा संलग्न की जाए।	
2.	कोई अन्य प्रासंगिक दस्ता	वेज जो बौ.सं.का. के र्आ	भेलेख का भाग हो।
टिप्पणी	:		
1.	सभी अभिवचनों के साथ र	पंबंधित पक्षकार के अधि	कृत प्रतिनिधि का शपथपत्र होगा।
2.	याचिका के साथ प्राधिकार	सिद्ध करने वाले दस्ता	वेज जैसे मुख्तारनामा, बोर्ड का संकल्प आदि होंगे
<u>प्रपत्र-V</u>			
	[प्रतिलिप्या	धिकार अधिनियम, 19	57 की धारा 31ग(5) के अंतर्गत प्रपत्र]
			(न्यायालय शुल्क:
		दिल्ली उच्च न्य	ायालय: नई दिल्ली
	(बौर्ग	द्धिक संपदा अनुभाग –	ऑरिजिनल सिविल अधिकारिता)
सि.ऑ. (वाबौ.सं.अनु./सी.आर.)_		1
			याचिकाकर्ता(गण)/
(याचिका	कर्ता(गण)/शिकायतकर्ता(ग	ाण)/	शिकायतकर्ता(गण)/आवेदक(गण)
	गण) का पूरा नाम, पता, ई गाचिकाकर्ता(गण)/शिकायत		
आवेदक(प्रदान करे	गण) की स्थिति में, भार रें)	त में तामील हेतु पत	
		<u> </u>	नाम
			प्रत्यर्थी(गण)
(प्रत्यर्थी(गण) का पूरा नाम, पता, ई		,
, , , , , , , ,		(

(प्रत्यथी(गण) का पूरा नाम, पता, ई-मेल व मोबाइल नबर। विदेशी प्रत्यथीं(गण) की स्थिति में, भारत में तामील हेतु पता प्रदान करें)

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 31ग(5) के अंतर्गत याचिका/शिकायत/आवेदन

उपरोक्त नामित याचिकाकर्ता(गण)/शिकायतकर्ता(गण)/आवेदक(गण) विनम्रतापूर्वक निम्नानुसार निवेदन करते हैं :

- 1. अधिवक्ता का पूरा नाम :
- 2. अधिवक्ता का पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर
- 3. उन ध्वन्यंकनों के स्वामित्व का विवरण, जिनके :

	लिए याचिकाकर्ता(गण)/शिकायतकर्ता (गण)/आवेदक(गण) द्वारा अनुतोष की मांग की गई है	
4.	प्रत्यर्थी(गण) द्वारा प्रकाशित किए जा रहे कवर संस्करणों का विवरण	
5.	प्रत्यर्थी(गण) द्वारा स्वामी(यों)/ याचिकाकर्ता(गण)/शिकायतकर्ता (गण)/आवेदक(गण) को दिए गए पूर्व नोटिस का विवरण	
6.	अदा किया गया स्वामिस्व, यदि कोई हो	:
7.	प्रत्यर्थी(गण) द्वारा किए गए परिवर्तन, यदि कोई हों	:
8.	प्रत्यर्थी(गण) द्वारा किया गया(किए गए) उल्लंघन	
9.	क्या ध्वन्यंकन की और अधिक प्रतियाँ बनाने से रोकने वाले व्यादेश की मांग की गई है? यदि ऐसा है तो उसके आधार	
10.	. याचिकाकर्ता(गण)/शिकायतकर्ता (गण)/आवेदक(गण) द्वारा दावा किए गए स्वामिस्व की राशि व उसका विवरण	
11	. प्रार्थना	:
12	. सत्यापन	[याचिकाकर्ता(गण)/शिकायतकर्ता(गण) /आवेदक(गण) के अधिवक्ता का नाम व हस्ताक्षर] :
13	. समर्थन में शपथपत्र	:
दस्तावेज	नों की सूची	
1.	्रप्रासंगिक दस्तावेज	
टिप्पर्ण	ì:	
1.	सभी अभिवचनों के साथ संबंधित पक्षकार के अधि	~
2.	याचिका के साथ प्राधिकार सिद्ध करने वाले दस्ताव	केज जैसे मुख्तारनामा, बोर्ड का संकल्प आदि होंगे ।
प्रपत्र-\	/I	
		l957 की धारा 50 के अंतर्गत प्रपत्र]
		(न्यायालय शुल्क:)
	•	यालय: नई दिल्ली
		गॅरिजिनल सिविल अधिकारिता)
सि.ऑ.	(वाबौ.सं.अनु./सी.आर.)	/
		याचिकाकर्ता(गण)/
(याचिव	काकर्ता(गण)/शिकायतकर्ता(गण)/	शिकायतकर्ता(गण)/आवेदक(गण)

	आवेदक(गण) का पूरा नाम, पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर। वेदेशी याचिकाकर्ता(गण)/शिकायतकर्ता(गण)/							
आवेदक	आवेदक(गण) की स्थिति में, भारत में तामील हेतु पता प्रदान करें)							
	,	नाम						
		प्रत्यर्थी(गण)						
विदेशी		<i>` ,</i>						
प्रतिलिप्	याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 50 के अंतर्गत	ा याचिका <i>!</i> शिकायत						
उपरोक्त	नामित याचिकाकर्ता(गण)/शिकायतकर्ता(गण)/आवेव	क(गण) विनम्रतापूर्वक निम्नानुसार निवेदन करते हैं :						
1.	अधिवक्ता का पूरा नाम	:						
2.	अधिवक्ता का पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर	:						
3.	स्वामी/रचनाकार/समनुदेशक का नाम, पता, ई- मेल, मोबाइल नंबर व राष्ट्रीयता	:						
4.	कृति का विवरण (साहित्यिक, नाटकीय, संगीतात्मक, कलात्मक, चलचित्र फिल्म, ध्वन्यंकन), जिसमें निम्नानुसार शामिल हों :	:						
	i. कृति का शीर्षक							
	ii. प्रकाशक का नाम, पता व राष्ट्रीयता							
	iii. प्रथम व अंतिम प्रकाशन का वर्ष							
	iv. प्रथम व अंतिम प्रकाशन का देश							
5.	पंजीकरण का विवरण	:						
6.	परिशोधन के आधार	:						
7.	शिकायतकर्ता(गण) की जानकारी में इस कृति के संबंध में लंबित किन्हीं अन्य कार्यवाहियों का विवरण							
8.	प्रार्थना	:						
9.	सत्यापन	[याचिकाकर्ता(गण)/शिकायतकर्ता(गण)/ आवेदक(गण) के अधिवक्ता का नाम व हस्ताक्षर]						
J.		· [याचिकाकर्ता(गण)/शिकायतकर्ता(गण)/ आवेदक(गण) के हस्ताक्षर]						
10	. समर्थन में शपथपत्र	:						

दस्तावेजों की सूची

- 1. कर्तव्यभार विलेख की प्रति संलग्न की जाए।
- 2. कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज।

टिप्पणी :

- 1. सभी अभिवचनों के साथ संबंधित पक्षकार के अधिकृत प्रतिनिधि का शपथपत्र होगा ।
- 2. याचिका के साथ प्राधिकार सिद्ध करने वाले दस्तावेज जैसे मुख्तारनामा, बोर्ड का संकल्प आदि होंगे |

		-		
प्रपत्र-\	/II			
	ःः [प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957	⁷ की धारा 72 के अंतर्गत	अपील हेत प्रपत्र।	
	[(न्यायालय शुल्क:)
	दिल्ली उच न्य	ायालय: नई दिल्ली	(
	·	ग – अपीलीय अधिकारि	गा)	
	(याद्धनः समया अपुनाः सि.अ. (वाबौ.सं.अनु./सी.आर.)	। – जनासाच जाजनगर	,	
	ાત.બ. (વાવા.ત.બતુ./તા.બાર.)		,	अपीलार्थी(गण)
नंबर।	—————————————————————————————————————			બવાલાવા(પંચ)
		नाम		
	· ·	., ,		प्रत्यर्थी(गण)
पता प्र	प्रत्यर्थी(गण) की स्थिति में, भारत में तामील हेतु दान करें)			
	याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 72 के अंतर्गत आदेश दिनांकितको चुनौती दे			द्वारा
	नामित अपीलार्थी(गण) विनम्रतापूर्वक निम्नानुसार र्			
1.	अधिवक्ता का पूरा नाम	:		
2.	अधिवक्ता का पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर	:		
3.	आक्षेपित आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की तिथि	:		
4.	वह प्रावधान जिसके अंतर्गत आक्षेपित आदेश पारित हुआ	:		
5.	परिसीमन की अवधि	:		
6.	अपील दाखिल करने में हुई देरी, यदि कोई हो तथा उसका कारण	:		

:	
· :	
:	
	 ाम व हस्ताक्षर]
:	· •
· [अपीलार्थी(गण) के हस्ताक्षर]	
•	
धेकत प्रतिनिधि का शुप्रथपत्र होगा ।	
	· शादि नोंगे ।
ाज जस मुख्तारमामा, बाङ का सकल्प	जााद हाग ।
A 64/74 =	
_	
•	न्यायालय शुल्क:)
·	
आरिजिनल सिविल अधिकारिता)	
	1
याचि	काकर्ता(गण)/आवेदक(गण)
} -	
•	
बनाम	
	प्रत्यर्थी(गण)
_	प्रत्यया(गण)
\mathfrak{F}	
	:

<u>याचिका/आवेदन</u>

उपरोक्त नामित याचिकाकर्ता(गण)/आवेदक(गण) विनम्रतापूर्वक निम्नानुसार निवेदन करते हैं :

1.	अधिवक्ता का पूरा नाम		:
2.	अधिवक्ता का पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर		:
3.	पेटेंट अभिकर्ता, यदि कोई हो, का नाम व पता		:
4.	पेटेंट जि	से निरसित/परिशोधित किया जाना है-	:
	(i)	पंजीकरण सं.	
	(ii)	आविष्कार का शीर्षक	
	(iii)	आवेदन दाखिल करने की तिथि	
	(iv)	जरनल में विज्ञापन की तिथि व उसका विवरण	
	(v)	प्रदान किए जाने से पूर्व दाखिल विरोध(धों), यदि कोई हो, का विवरण	
	(vi)	पेटेंट प्रदान किए जाने की तिथि	
	(vii)	पेटेंट अवधि की समाप्ति की तिथि	
5.	पंजीकृत	पेटेंट का स्वामी	:
6.	पेटेंट के	पूर्व-हितधारी, यदि कोई हो, का विवरण	:
7.		ो वर्तमान स्थिति (पेटेंट कार्यालय की की वेबसाइट से प्रिंट आउट संलग्न करें)	:
8.	याचिका	कर्ता का हित, संक्षेप में	:
9.	निरसित वाले प्रा	ा/परिशोधित करने की मांग हेतु लागू होने वधान	:
10	. निरसि	त/परिशोधित करने की मांग हेतु आधार	:
11	11. याचिकाकर्ता/आवेदक की जानकारी में इस पेटेंट अथवा पेटेंट श्रेणी के संबंध में लंबित किन्हीं अन्य कार्यवाहियों का अधिकरण सहित विवरण		:
12	. प्रार्थना		<u>:</u>
			[याचिकाकर्ता(गण)/आवेदक(गण) के अधिवक्ता का नाम व हस्ताक्षर]
13	. सत्याप	न	<u>:</u>
			[याचिकाकर्ता(गण)/आवेदक(गण) के हस्ताक्षर]
14	. समर्थन	में शपथपत्र	:

दस्तावेजों की सूची

- 1. पेटेंट, जिसके निरसन या परिशोधन की मांग की गई है, के पूर्ण विवरण की प्रति दाखिल की जाए।
- 2. कोई अन्य प्रांसंगिक दस्तावेज।

टिप्पणी :

सभी अभिवचनों के साथ संबंधित पक्षकार के अधिकृत प्रतिनिधि का शपथपत्र होगा।

9. अपील के आधार

10. अपीलार्थी की जानकारी में इस पेटेंट या पेटेंट :

^	\sim \sim	\sim	_	` `	2 7	J C	
9	यााचका क साथ	'प्रााधकार ।स	द्ध करन वा	ल दस्तावज	जस मख्तारनामा	बाड का	संकल्प आदि होंगे
	111 1 111 11 11 111 1		& 1		1 11 13 -111 111	110 11	4 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

2.	याचिका के साथ प्राधिकार सिद्ध करने वाले दस्ता	वेज जैसे मुख्त	ारनामा, बो	डे का संकल्प आदि होंगे ।
<u>प्रपत्र-l</u>	<u>x</u>			
	[पेटेंट अधिनियम, 1970 र्क	ो धारा 117 _'	-क के अंतर्ग	त प्रपत्र]
				(न्यायालय शुल्क:)
	दिल्ली उच्च न्य	ायालय: नई ी	देल्ली	
	(बौद्धिक संपदा अनुभा [,]	ग – अपीलीय	अधिकारित	π)
	सि.अ. (वाबौ.सं.अनु./सी.आ	₹.)	1	
				अपीलार्थी(गण)
नंबर।	गार्थी(गण) का पूरा नाम, पता, ई-मेल व मोबाइल विदेशी अपीलार्थी(गण) की स्थिति में, भारत में ा हेतु पता प्रदान करें)			
	ৱ	नाम		
				प्रत्यर्थी(गण)
पता प्र	प्रत्यर्थी(गण) की स्थिति में, भारत में तामील हेतु दान करें) <mark>ाधिनियम, 1970 की धारा 117क के अंतर्गत</mark>			द्वारा पारित आदेश दिनांकित
	— गैती देने हेतु अपील			
_			≟ .	
उपराक्त	नामित अपीलार्थी(गण) विनम्रतापूर्वक निम्नानुसार ी	।नवदन करत	₹.	
1.	अधिवक्ता का पूरा नाम	:		
2.	अधिवक्ता का पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर	:		
	0 . 0	:		
4.	आक्षेपित आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की तिथि	:		
5.	आक्षेपित आदेश को पारित करने वाला प्राधिकरण	:		
6.	वह प्रावधान जिसके अंतर्गत आक्षेपित आदेश पारित हुआ	:		
7.	परिसीमन की अवधि	:		
8.	अपील दाखिल करने में हुई देरी, यदि कोई हो तथा उसका कारण	:		

श्रेणी के संबंध में लंबित किन्हीं अन्य कार्यवाहियों का विवरण	
11. प्रार्थना	:
	[अधिवक्ता/अपीलार्थी(गण) का नाम व हस्ताक्षर]
12. सत्यापन	:
	[अपीलार्थी(गण) के हस्ताक्षर]
13. समर्थन में शपथपत्र	:
दस्तावेजों की सूची	
1. बौ.सं.का. द्वारा पारित आक्षेपित आदेश की प्रति।	
2. कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जो बौ.सं.का. के अभि	मेलेख का भाग हों।
टिप्पणी :	
 सभी अभिवचनों के साथ संबंधित पक्ष के अधिकृत ! 	प्रतिनिधि का शपथपत्र होगा ।
- 2. अपील के साथ प्राधिकार सिद्ध करने वाले दस्तावेज	। जैसे मुख्तारनामा, बोर्ड का संकल्प आदि होंगे ।
प्रपत्र-X	
 [पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अ	धिनियम, 2001 की धारा 56 के अंतर्गत प्रपत्र]
	- [न्यायालय श्ल्क:
दिल्ली उच्च न्याः	यालय : नई दिल्ली
•	ा - अपीलीय अधिकारिता)
सि.अ. (वाबौ.सं.अनु./पी.वी.) /	
N.S. (4141.V.Sig.) 41.41.)	
	अपीलार्थी(गण)
——— (अपीलार्थी(गण) का पूरा नाम, पता, ई-मेल व मोबाइल	
नंबर। विदेशी अपीलार्थी(गण) की स्थिति में, भारत में	
तामील हेतु पता प्रदान करें)	
बन	नाम
	प्रत्यर्थी(गण)
	,
विदेशी प्रत्यर्थी(गण) की स्थिति में, भारत में तामील हेतु	
पता प्रदान करें)	
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001	की धारा 56 के अंतर्गत
द्वारा पारित आदेश दिनांकितको चुनौती दे	ने हेतु अपील
उपरोक्त नामित अपीलार्थी(गण) विनम्रतापूर्वक निम्नानुसार वि	नेवेदन करते हैं :
1. अधिवक्ता का पूरा नाम	:
2 अधिवक्ता का पता ई-मेल व मोबाइल नंबर	

3.	अपाल व	ना विषय वस्तु पाधा किस्म	:
	(i)	आवेदन/पंजीकरण संख्या, पंजीकृत पौधा किस्म का प्रकार	
	(ii)	पौ.कि., जैसा कि आवेदन/पंजीकरण प्रमाणपत्र में प्रदर्शित है, लगाएं	
	(iii)	आवेदन दाखिल करने की तिथि	
	(iv)	व्यापार चिन्ह जरनल में विज्ञापन की तिथि व उसका विवरण	
	(v)	दाखिल विरोध(धों), यदि कोई हो, का विवरण	
	(vi)	पंजीकरण प्रदान करने की तिथि	
	(vii)	नवीनीकरण का विवरण	
4.	आक्षेपित की तिथि	ा आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, ा	:
5.	वह प्रा ^{त्} पारित ह	त्रधान जिसके अंतर्गत आक्षेपित आदेश इआ	:
6.	परिसीम	न की अवधि	:
7. अपील दाखिल करने में हुई देरी, यदि कोई हो तथा उसका कारण		•	:
8. अपील के आधार		जधार	:
9. पौ.िक. के आवेदक/स्वामी		के आवेदक/स्वामी	:
10. आक्षेपित आदेश पारित करने वाला प्राधिकरण		त आदेश पारित करने वाला प्राधिकरण	:
11. अपीलार्थी(गण) की जानकारी में इस पौ.िक. के संबंध में लंबित किन्हीं अन्य कार्यवाहियों का विवरण			:
12	. प्रार्थना		:
			[अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता का नाम व हस्ताक्षर]
13	. सत्याप	न	<u>:</u>
			[अपीलार्थी(गण) के हस्ताक्षर]
14. समर्थन में शपथपत्र		में शपथपत्र	:

दस्तावेजों की सूची

- 1. बौ.सं.का. द्वारा पारित आक्षेपित आदेश की प्रति।
- 2. कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जो बौ.सं.का. के अभिलेख का भाग हो।

टिप्पणी :

- 1. सभी अभिवचनों के साथ संबंधित पक्षकार के अधिकृत प्रतिनिधि का शपथपत्र होगा ।
- 2. अपील के साथ प्राधिकार सिद्ध करने वाले दस्तावेज जैसे मुख्तारनामा, बोर्ड का संकल्प आदि होंगे।

प्रपः	त्र-XI			
[माल के ध	भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और र	ांरक्षण) अधिनियम, 1999	की धारा 27/58 के अंतर्गत प्रपत्र]
				[न्यायालय शुल्क:]
		दिल्ली उच्च	न्यायालय : नई दिल्ली	
		(बौद्धिक संपदा अनुभाग	– ओरिजिनल सिविल अधि	कारिता)
f	से.ऑ. (व	ाबौ.सं.अनु./जी.आई)	/	
				याचिकाकर्ता(गण)/आवेदक(गण)
_		ाण)/आवेदक(गण) का पूरा नाम, पता,		
मेल गाचित	व राकर्ता/ग	मोबाइल नंबर। विवे ण)/आवेदक(गण) की स्थिति में, भारत	स्थी - में	
	-	न <i>्रा</i> जायदेश(गर्ना) को स्थिति में, मार्स्स । प्रदान करें)	٦	
			बनाम	
				प्रत्यर्थी(गण)
(11=11%	ਜੇ/ਜਜ਼\ ਕ			
-		त पूरा नाम, पता, इ-मल व माबाइल न (गण) की स्थिति में, भारत में तामील		
	दान करें)			
				ौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और
संरक्षण)	अधिनि	यम, 1999 की धारा 27/58 के अंतर्गत	याचिका/आवेदन	
उपरोक्त	नामितः	याचिकाकर्ता(गण)/आवेदक(गण) विनम्रत	ापूर्वक निम्नानुसार निवेदन	करते हैं :
	_			
		का का पूरा नाम	:	
		का का पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर -	:	
3.	अभिकत	र्ता का नाम व पता	:	
4.		नेक उपदर्शन, जिसे(जिन्हें) रद्द/परिवर्ति रै	ति :	
		गना है - पंजीकरण सं.		
	(i) (ii)	पंजाकरण स. भौगोलिक उपदर्शन		
	(ii)		<i>→</i>	
		(भौ.उ., जैसा कि पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदर्शित है, लगाएं)	н	
	(iii)	आवेदन दाखिल करने की तिथि		
	(iv)	भौगोलिक उपदर्शन जरनल में विज्ञाप की तिथि व उसका विवरण	ा न	
	(v)	दाखिल विरोध(धों), यदि कोई हो,	का	

पंजीकरण प्रदान करने की तिथि

(vi)

	(vii) नवीनीकरण विवरण	
5.	पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन का स्वामी	:
6.	भौगोलिक उपदर्शन के पूर्व-हितधारी, यदि कोई हो, का विवरण	:
7.	समनामी भौगोलिक उपदर्शन, यदि किसी के लिए आवेदन किया हो/पंजीकृत हो, का विवरण	:
8.	भौगोलिक उपदर्शन की वर्तमान स्थिति (भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री की वेबसाइट से प्रिंट आउट संलग्न करें)	:
9.	आवेदन में भौगोलिक उपदर्शन हेतु प्रयोक्ता द्वारा दावा की गई तिथि	:
10	. अस्वीकरण/अन्य शर्तें, यदि कोई हो	:
11	.याचिकाकर्ता(गण)/आवेदक (गण) का हित, संक्षेप में	:
12	. रद्दीकरण/अनुतोष मांगने के आधार	:
13	.याचिकाकर्ता(गण)/आवेदक (गण) की जानकारी में इस भौ.उ. के संबंध में लंबित किन्हीं अन्य कार्यवाहियों का अधिकरण सहित विवरण	:
14	. प्रार्थना	<u>:</u>
		[याचिकाकर्ता(गण)/आवेदक(गण) के अधिवक्ता का नाम व हस्ताक्षर]
15	. सत्यापन	<u>:</u>
		[याचिकाकर्ता(गण)/आवेदक(गण) के हस्ताक्षर]

दस्तावेजों की सूची

- 1. आक्षेपित भौगोलिक उपदर्शन के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गए पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।
- 2. भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री की वेबसाइट से प्रिंट की गई भौ.उ. की वर्तमान स्थिति।
- 3. प्रांसंगिक दस्तावेज।

16. समर्थन में शपथपत्र

टिप्पणी:

- 1. सभी अभिवचनों के साथ संबंधित पक्षकार के अधिकृत प्रतिनिधि का शपथपत्र होगा।
- 2. याचिका के साथ प्राधिकार सिद्ध करने वाले दस्तावेज जैसे मुख्तारनामा, बोर्ड का संकल्प आदि होंगे।

<u>प्रपत्र-XII</u>

[माल के भौगोलिक उपदर्शन (र	जिस्ट्रीकरण और र	<mark>संरक्षण) अधिनियम,</mark>	1999 की धारा 31	तथा माल के भौगोलिक
उपदर्शन (रजिस्	ट्रीकरण और संरक्ष	ण) नियम, 2002 के	नियम 116 के अंतर्ग	ति प्रपत्र]

,	•	•
		[न्यायालय शुल्क:]
दिल्ली उच्च न	यायालय : नई दिल्ली	
(बौद्धिक संपदा अनुभ	ाग – अपीलीय अधिकारि	ता)
सि.अ. (वाबौ.सं.अनु./जी.	आई)	
		अपीलार्थी(गण)
(अपीलार्थी(गण) का पूरा नाम, पता, ई-मेल व मोबाइ नंबर। विदेशी अपीलार्थी(गण) की स्थिति में, भारत तामील हेतु पता प्रदान करें)		
	बनाम	
		प्रत्यर्थी(गण)
(प्रत्यर्थी(गण) का पूरा नाम, पता, ई-मेल व मोबाइल नंब विदेशी प्रत्यर्थी(गण) की स्थिति में, भारत में तामील हे पता प्रदान करें)		
द्वारा <mark>पारित आदेश दिनांकितको चुनौती</mark> उपरोक्त नामित अपीलार्थी(गण) विनम्रतापर्वक निम्नानसार	10	
उपरोक्त नामित अपीलार्थी(गण) विनम्रतापूर्वक निम्नानुसार	निवेदन करते हैं :	
1. अधिवक्ता का पूरा नाम	:	
2. अधिवक्ता का पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर	:	
3. अभिकर्ता का नाम व पता	:	
4. अपील की विषय वस्तु भौगोलिक उपदर्शन	:	
(i) पंजीकरण सं.		
(ii) भौगोलिक उपदर्शन (भौ.उ., जैसा कि पंजीकरण प्रमाणपत्र में प्रदर्शित है, लगाएं)	Т	
(iii) आवेदन दाखिल करने की तिथि		
(iv)भौगोलिक उपदर्शन जरनल में विज्ञापन की तिथि व उसका विवरण	ī	
(v) दाखिल विरोध(धों), यदि कोई हो, का विवरण		
(vi) पंजीकरण प्रदान करने की तिथि		
(vii) नवीनीकरण का विवरण		
 आक्षेपित आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है की तिथि 	, :	

		प्रत्यर्थी(गण)
ৰ	नाम	
(याचिकाकर्ता(गण)/आवेदक(गण) का पूरा नाम, पता, ई- मेल व मोबाइल नंबर। विदेशी याचिकाकर्ता(गण)/आवेदक(गण) की स्थिति में, भारत में तामील हेतु पता प्रदान करें)		चेकाकर्ता(गण)/आवेदक(गण)
सि.ऑ. (वाबौ.सं.अनु./एस.सी.डी)	<u> </u>	-
(बौद्धिक संपदा अनुभाग - ३	गॅरिजिनल सिविल अधिकारिता)	
दिल्ली उच्च न्या	यालय : नई दिल्ली	
•		· (न्यायालय शुल्क:)
प्रपत्र-XIII [अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन्	न अधिनियम, 2000 की धारा 4	0 के अंतर्गत प्रपत्र]
2. अपील के साथ प्राधिकार सिद्ध करने वाले दस्तावेज	ज जैसे मुख्तारनामा, बोर्ड का संक	ल्प आदि होंगे ।
1. सभी अभिवचनों के साथ संबंधित पक्षकार के अधि	कृत प्रतिनिधि का शपथपत्र होगा	I
टिप्पणी :		
2. कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जो बौ.सं.का. के अि	भेलेख का भाग हो।	
1. बौ.सं.का. द्वारा पारित आक्षेपित आदेश की प्रति।		
दस्तावेजों की सूची		
15. समर्थन में शपथपत्र	:	
ામ. લલ્લામન	· [अपीलार्थी(गण) के हस्ताक्षर]	
14. सत्यापन	[अधिवक्ता/अपीलार्थी(गण) का	नाम व हस्ताक्षर]
13. प्रार्थना	:	
में लंबित किन्हीं अन्य कार्यवाहियों का विवरण		
12. अपीलार्थी की जानकारी में इस भौ.उ. के संबंध		
तथा उसका कारण 11. अपील के आधार		
 पारतामन का जयाव अपील दाखिल करने में हुई देरी, यदि कोई हो 		
पारित हुआ 9. परिसीमन की अवधि		
8. वह प्रावधान जिसके अंतर्गत आक्षेपित आदेश	:	
मागालिक उपदशन का आवदक/स्वामा		
6. भौगोलिक उपदर्शन का आवेदक/स्वामी	•	

(प्रत्यर्थी(गण) का पूरा नाम, पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर। विदेशी प्रत्यर्थी(गण) की स्थिति में, भारत में तामील हेतु पता प्रदान करें)

हेतु अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन अधिनियम,

2000 की धारा 40 के अंतर्गत याचिका/आवेदन

उपरोक्त नामित याचिकाकर्ता(गण)/आवेदक(गण) विनम्रतापूर्वक निम्नानुसार निवेदन करते हैं :

1.	अधिवक्ता का पूरा नाम	:
2.	अधिवक्ता का पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर	:
3.	अभिकर्ता, यदि कोई हो, का नाम व पता	:
4.	अभिन्यास डिज़ाइन, जिसके लिए स्वामिस्व का दावा किया गया है, का विवरण	:
5.	प्रार्थना किया गया अनुतोष व प्रासंगिक धारा(एँ)	:
6.	संक्षिप्त तथ्य	:
7.	स्वामिस्व मांगने के समर्थन में आधार	:
8.	अभिन्यास डिज़ाइन के संबंध में धारा 18(1)(ख) से संदर्भित कार्यों को करने, अथवा किये जाने हेतु निर्देश देने से उपार्जित लाभ	:
9.	याचिकाकर्ता/आवेदक की जानकारी में इस अभिन्यास-डिज़ाइन के संबंध में लंबित किन्हीं अन्य कार्यवाहियों का अधिकरण सहित विवरण	:
10	. प्रार्थना	:
		[याचिकाकर्ता(गण)/आवेदक(गण) के अधिवक्ता का नाम व हस्ताक्षर]
11.	. सत्यापन	:

दस्तावेजों की सूची

- 1. आक्षेपित अभिन्यास-डिज़ाइन के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गए पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।
- 2. अभिन्यास-डिज़ाइन की वर्तमान स्थिति।
- 3. कोई अन्य प्रांसंगिक दस्तावेज।

12. समर्थन में शपथपत्र

टिप्पणी:

- 1. सभी अभिवचनों के साथ संबंधित पक्षकार के अधिकृत प्रतिनिधि का शपथपत्र होगा।
- 2. याचिका के साथ प्राधिकार सिद्ध करने वाले दस्तावेज जैसे मुख्तारनामा, बोर्ड का संकल्प आदि होंगे।

10. सत्यापन

<u>प्रपत्र-></u>	<u>XIV</u>	
	[अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइ	न अधिनियम, 2000 की धारा 41 के अंतर्गत प्रपत्र]
		(न्यायालय शुल्क:
	दिल्ली उच्च न्या	यालय : नई दिल्ली
	(बौद्धिक संपदा अनुभाग - ३	गॅरिजिनल सिविल अधिकारिता)
सि.ऑ.	. (वाबौ.सं.अनु./एस.सी.डी)	
मेल याचिक	काकर्ता(गण)/आवेदक(गण) का पूरा नाम, पता, ई- व मोबाइल नंबर। विदेशी ठाकर्ता(गण)/आवेदक(गण) की स्थिति में, भारत में हेतु पता प्रदान करें)	
	ৰ	नाम
		प्रत्यर्थी(गण)
विदेशी	र्îि(गण) का पूरा नाम, पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर। r प्रत्यर्थी(गण) की स्थिति में, भारत में तामील हेतु दान करें)	
	हेत्	<mark>,</mark> अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन अधिनियम्
2000 ਫ	की धारा 41 के अंतर्गत याचिका/आवेदन	
उपरोक्त	नामित याचिकाकर्ता(गण)/आवेदक(गण) विनम्रतापू	र्वक निम्नानुसार निवेदन करते हैं :
1.	अधिवक्ता का पूरा नाम	:
2.	अधिवक्ता का पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर	:
3.	अभिकर्ता, यदि कोई हो, का नाम व पता	:
4.	अभिन्यास डिज़ाइन, जिसे रद्द किया जाना हो, का विवरण	:
5.	प्रार्थना किया गया अनुतोष व प्रासंगिक धारा(एँ)	:
6.	पंजीकृत अभिन्यास-डिज़ाइन का स्वामी	:
7.	अनुतोष मांगने के आधार	:
8.	याचिकाकर्ता/आवेदक की जानकारी में इस अभिन्यास-डिज़ाइन के संबंध में लंबित किन्हीं अन्य कार्यवाहियों का अधिकरण सहित विवरण	
9.	प्रार्थना	:

[याचिकाकर्ता(गण)/आवेदक(गण) के हस्ताक्षर]

11. समर्थन में शपथपत्र

दस्तावेजों की सूची

- 1. आक्षेपित अभिन्यास-डिज़ाइन के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।
- 2. अभिन्यास-डिज़ाइन की वर्तमान स्थिति।
- 3. अन्य कोई प्रांसंगिक दस्तावेज।

टिप्पणी:

- 1. सभी अभिवचनों के साथ संबंधित पक्षकार के अधिकृत प्रतिनिधि का शपथपत्र होगा।
- 2. याचिका के साथ प्राधिकार सिद्ध करने वाले दस्तावेज जैसे मुख्तारनामा, बोर्ड का संकल्प आदि होंगे।

प्रपत्र-XV

[अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइ	न अधिनियम, 2000 की धारा 42 के अंतर्गत प्रपत्र]
	[न्यायालय शुल्क:]
दिल्ली उच्च न्या	यालय : नई दिल्ली
(बौद्धिक संपदा अनुभाः	ग - अपीलीय अधिकारिता)
सि.अ. (वाबौ.सं.अनु./एस.सी.डी)	
	अपीलार्थी(गण)
(अपीलार्थी(गण) का पूरा नाम, पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर। विदेशी अपीलार्थी(गण) की स्थिति में, भारत में तामील हेतु पता प्रदान करें)	
ब	नाम
	प्रत्यर्थी(गण)
(प्रत्यर्थी(गण) का पूरा नाम, पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर। विदेशी प्रत्यर्थी(गण) की स्थिति में, भारत में तामील हेतु पता प्रदान करें)	
अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन अधिनियम द्वारा पारित आदेश दिनांकित	r, 2000 की धारा 42 के अंतर्गत
को चुनौती देने हेतु अपील	
उपरोक्त नामित अपीलार्थी(गण) विनम्रतापूर्वक निम्नानुसार ि	नेवेदन करते हैं :
1. अधिवक्ता का पूरा नाम	:
2. अधिवक्ता का पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर	:
3. अभिकर्ता, यदि कोई हो, का नाम व पता	:
 आक्षेपित आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की तिथि 	:
5. आक्षेपित आदेश को पारित करने वाला प्राधिकरण	:

 वह प्रावधान, जिसके अंतर्गत आक्षेपित आदेश पारित हुआ 	
7. परिसीमन की अवधि	:
 अपील दाखिल करने में हुई देरी, यदि कोई हो तथा उसका कारण 	:
9. अपील के आधार	:
10. अपीलार्थी की जानकारी में इस अथवा इससे संबंधित अभिन्यास-डिज़ाइन के संबंध में लंबित किन्हीं अन्य कार्यवाहियों का विवरण	:
11. प्रार्थना	:
	[अधिवक्ता/अपीलार्थी(गण) का नाम व हस्ताक्षर]
12.सत्यापन	<u>:</u>
	- [अपीलार्थी(गण) के हस्ताक्षर]
13. समर्थन में शपथपत्र	
दस्तावेजों की सूची	
 बौ.सं.का. द्वारा पारित आक्षेपित आदेश की प्रति। 	
 कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जो बौ.सं.का. के अिं 	मेलेख का भाग हो।
टिप्पणी :	
 सभी अभिवचनों के साथ संबंधित पक्षकार के अधि 	कर प्रतिनिधि का भाषाय होगा ।
2. अपील के साथ प्राधिकार सिद्ध करने वाले दस्तावेज	न जस मुख्तारनामा, बाड का सकल्प आदि हाग ।
V/ /I	
<u> </u>	
[ाडज़ाइन आधानयम, 200	0 की धारा 36 के अंतर्गत प्रपत्र]
	[न्यायालय शुल्क:]
दिल्ली उच्च न्या	यालय : नई दिल्ली
(बौद्धिक संपदा अनुभाग	ग - अपीलीय अधिकारिता)
सि.अ. (वाबौ.सं.अनु./डी.ः	5.)/
	अपीलार्थी(गण)
(अपीलार्थी(गण) का पूरा नाम, पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर। विदेशी अपीलार्थी(गण) की स्थिति में, भारत में तामील हेतु पता प्रदान करें)	
্ৰ ৰ	नाम
	प्रत्यर्थी(गण)
विदेशी प्रत्यर्थी(गण) की स्थिति में, भारत में तामील हेतु	

		'
पता	प्रदान	कर)

डिज़ाइन अधिनियम, 2000 की धारा 36 के अंतर्गत को चुनौती देने हेतु अपील	द्वारा पारित आदेश दिनांकित
उपरोक्त नामित अपीलार्थी(गण) विनम्रतापूर्वक निम्नानुसार ि	नेवेदन करते हैं :
1. अधिवक्ता का पूरा नाम	:
2. अधिवक्ता का पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर	:
3. अभिकर्ता, यदि कोई हो, का नाम व पता	:
 आक्षेपित आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की तिथि 	:
5. आक्षेपित आदेश को पारित करने वाला प्राधिकरण	
 वह प्रावधान, जिसके अंतर्गत आक्षेपित आदेश पारित हुआ 	:
7. परिसीमन की अवधि	:
 अपील दाखिल करने में हुई देरीयदि कोई हो , तथा उसका कारण 	:
9. अपील के आधार	:
10. अपीलार्थी की जानकारी में इस अथवा इससे संबंधित डिज़ाइन के संबंध में लंबित किन्हीं अन्य कार्यवाहियों का विवरण	:
11. प्रार्थना	<u>:</u>
	[अधिवक्ता/अपीलार्थी(गण) का नाम व हस्ताक्षर]
12. सत्यापन	<u></u>
	[अपीलार्थी(गण) के हस्ताक्षर]
13. समर्थन में शपथपत्र	:

दस्तावेजों की सूची

- 1. बौ.सं.का. द्वारा पारित आक्षेपित आदेश की प्रति।
- 2. कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जो बौ.सं.का. के अभिलेख का भाग हो।

टिप्पणी :

- 1. सभी अभिवचनों के साथ संबंधित पक्षकार के अधिकृत प्रतिनिधि का शपथपत्र होगा ।
- 2. अपील के साथ प्राधिकार सिद्ध करने वाले दस्तावेज जैसे मुख्तारनामा, बोर्ड का संकल्प आदि होंगे।

<u>प्रपत्र-XVII</u>

	[सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 20)00 की धारा 46 के अंतर्गत प्रपत्र]	
		(न्य	ायालय शुल्क:)
	दिल्ली उच्च न्याय	ालय: नई दिल्ली	
	(बौद्धिक संपदा अनुभाग - ऑ	रेजिनल सिविल अधिकारिता)	
	सि.ऑ. (वाबौ.सं.अनु./आई.टी.)		
			याचिकाकर्ता(गण)
नंबर। रि	तकर्ता(गण) का पूरा नाम, पता, ई-मेल व मोबाइल वेदेशी याचिकाकर्ता(गण) की स्थिति में, भारत में हेतु पता प्रदान करें)		
	बना	म	
			प्रत्यर्थी(गण)
-	(गण) का पूरा नाम, पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर। प्रत्यर्थी(गण) की स्थिति में, भारत में तामील हेतु तन करें)		
 उपरोक्त <i>े</i>	चिगेिकी अधिनियम, 2000 की धारा 46 के अंतर्गत नामित याचिकाकर्ता(गण) विनम्रतापूर्वक निम्नानुसार		
	अधिवक्ता का पूरा नाम	:	
2.	अधिवक्ता का पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर	:	
3.	परिसीमन की अवधि, यदि कोई हो	:	
4.	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और/अथवा उसमें निहित नियमों व विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत किये गए उल्लंघनों का संक्षिप्त परिचय तथा विवरण	:	
5.	दावाकृत क्षति/नुकसानी हेतु क्षतिपूर्ति¹	:	
6.	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 47 के सन्दर्भ में इसका न्यायोचित्य	:	
7.	प्रार्थना	:	
8.	सत्यापन	[अधिवक्ता/याचिकाकर्ता(गण) का	नाम व हस्ताक्षर]
9.	समर्थन में शपथपत्र	[याचिकाकर्ता(गण) के हस्ताक्षर] :	

दस्तावेजों की सूची

- 1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत उल्लंघन को सिद्ध करने हेतु सभी प्रासंगिक दस्तावेज;
- 2. क्षति के दावे/नुकसानी हेतु क्षतिपूर्ति के दावे के समर्थन में सभी प्रासंगिक दस्तावेज।

टिप्पणी:

- 1. सभी अभिवचनों के साथ संबंधित पक्षकार के अधिकृत प्रतिनिधि का शपथपत्र होगा।
- 2. याचिका के साथ प्राधिकार सिद्ध करने वाले दस्तावेज जैसे मुख्तारनामा, बोर्ड का संकल्प आदि होंगे।

1 दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष क्षतिपूर्ति हेतु दावा केवल तभी मान्य होगा यदि दावे की

3. आक्षेपित आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, :

4. आक्षेपित आदेश को पारित करने वाला :

की तिथि

प्राधिकरण/अधिकरण

יג

राशि 5 करोड़ रुपयों से अधिक हो।	
<u>प्रपत्र-XVIII</u>	
[सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 62 के अंतर्ग	त प्रपत्र]
	(न्यायालय शुल्क:)
दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली	
(बौद्धिक संपदा अनुभाग - अपीलीय अधिकारिता)	
सि.अ. (वाबौ.सं.अनु./आई.टी.)//	
	अपीलार्थी(गण)
(अपीलार्थी(गण) का पूरा नाम, पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर। विदेशी अपीलार्थी(गण) की स्थिति में, भारत में तामील हेतु पता प्रदान करें)	
बनाम	
	प्रत्यर्थी(गण)
(प्रत्यर्थी(गण) का पूरा नाम, पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर। विदेशी प्रत्यर्थी(गण) की स्थिति में, भारत में तामील हेतु पता प्रदान करें)	
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 62 के अंतर्गत_ पारित आदेश दिनांकितको चुनौती देने हेतु अपील	द्वारा
उपरोक्त नामित अपीलार्थी(गण) विनम्रतापूर्वक निम्नानुसार निवेदन करते हैं :	
1. अधिवक्ता का पूरा नाम :	
2. अधिवक्ता का पता, ई-मेल व मोबाइल नंबर :	

5. वह प्रावधान जिसके अंतर्गत आक्षेपित आदेश : पारित हुआ
 6. परिसीमन की अवधि :
 7. अपील दाखिल करने में हुई देरी, यदि कोई हो : तथा उसका कारण
 8. अपील के आधार :
 9. प्रार्थना :
 [अधिवक्ता/अपीलार्थी(गण) का नाम व हस्ताक्षर]
 10. सत्यापन :

[अपीलार्थी(गण) के हस्ताक्षर]

11. समर्थन में शपथपत्र :

दस्तावेजों की सूची

- 1. प्राधिकरण/अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश की प्रति।
- 2. कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जो प्रासंगिक प्राधिकरण के अभिलेख का भाग हो।

टिप्पणी:

- 1. सभी अभिवचनों के साथ संबंधित पक्षकार के अधिकृत प्रतिनिधि का शपथपत्र होगा।
- 2. अपील के साथ प्राधिकार सिद्ध करने वाले दस्तावेज जैसे मुख्तारनामा, बोर्ड का संकल्प आदि होंगे।

अनुसूची-II

क्रम.	मद	न्यायालय
सं.		शुल्क
1.	अनुकल्प में अथवा संयोजन में व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 47/57/125 के अंतर्गत दाखिल किया गया आवेदन अथवा याचिका ।	रु. 10,000/-
2.	व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 91 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की गई अपील	रु. 10,000/-
3.	प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम लगाने के सन्दर्भ में प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 19क के अंतर्गत दाखिल की गई याचिका अथवा शिकायतें	रु. 5,000/
4.	जनता से छिपाए गए कार्य के सम्बन्ध में अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 31 के अंतर्गत दाखिल की गई याचिका अथवा शिकायत अथवा आवेदन	रु. 10,000/
5.	अप्रकाशित अथवा प्रकाशित कृतियों हेतु अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 31क के अंतर्गत दाखिल की गई याचिका अथवा शिकायत अथवा आवेदन	रु. 10,000/
6.	दिव्यांगों के लाभ हेतु अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 31ख के अंतर्गत दाखिल की गई याचिका अथवा शिकायत अथवा आवेदन	रु. 10,000/
7.	कवर संस्करणों हेतु वैधानिक अनुज्ञप्ति के लिए प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 31ग के अंतर्गत दाखिल की गई याचिका अथवा शिकायत अथवा आवेदन	रु. 10,000/

8.	साहित्यिक व संगीतात्मक कृतियों और ध्वन्यंकन के प्रसारण हेतु वैधानिक अनुज्ञप्ति के लिए प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 31घ के अंतर्गत दाखिल की गई याचिका अथवा शिकायत अथवा आवेदन	रु. 10,000/
9.	अनुवाद प्रस्तुत करने व प्रकाशित करने हेतु अनुज्ञप्ति के लिए प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 32 के अंतर्गत दाखिल की गई याचिका अथवा शिकायत अथवा आवेदन	रु. 10,000/
10.	कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए कृतियों के पुनः प्रस्तुतीकरण व प्रकाशन करने हेतु अनुज्ञप्ति के लिए प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 32क के अंतर्गत दाखिल की गई याचिका अथवा शिकायत अथवा आवेदन।	रु. 10,000/
11.	प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 31ग (5) के अंतर्गत इस संबंध में दाखिल की गई याचिका अथवा शिकायत अथवा आवेदन कि अधिकार के स्वामी द्वारा किसी ध्वन्यंकन, जिसका इस धारा के अनुसरण में किया जाना आशयित है, हेतु पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।	रु. 10,000/
12.	प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत रजिस्टर के परिशोधन हेतु दाखिल किया गया आवेदन	रु. 10,000/
13.	प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 72 के अंतर्गत निबंधक के आदेश के विरुद्ध की गई अपील	रु. 5,000/
14.	पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 64 के अंतर्गत पेटेंट के निरसन हेतु दाखिल की गई याचिका अथवा आवेदन	रु. 10,000/
15.	पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 71 के अंतर्गत रजिस्टर के परिशोधन हेतु दाखिल की गई याचिका अथवा आवेदन	रु. 10,000/
16.	पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 117क के अंतर्गत दाखिल की गई अपील	रु. 10,000/
17.	माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत किसी प्रवष्टि को रद्द करने, निकालने अथवा परिवर्तित करने के द्वारा रजिस्टर के परिशोधन हेतु दाखिल की गई याचिका/आवेदन	रु. 5,000/
18.	माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 31 के अंतर्गत निबंधक के आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई अपील	रु. 5000/-
19.	पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 56 के अंतर्गत दाखिल की गई अपील	रु. 5000/
20.	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 46 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति/नुकसानी हेतु दाखिल की गई अपील	रु. 5000/
21.	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 62 के अंतर्गत दाखिल की गई अपील	रु. 5000/
22.	डिज़ाइन अधिनियम, 2000 की धारा 36 के अंतर्गत दाखिल की गई अपील	रु. 5000/
23.	ऐसी कोई भी मूल याचिका/अपील जो उपरलिखित न हो	रु. 5000/
24.	ऐसा कोई भी विविध आवेदन जो उपरलिखित न हो	रु. 500/-

न्यायालय के आदेशानुसार,

मनोज जैन, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI NOTIFICATION

Delhi, the 24th February, 2022

No. 13/Rules/DHC.—

Delhi High Court Intellectual Property Rights Division Rules, 2022

Preamble

Whereas, upon the promulgation of the Tribunals Reforms (Rationalisation and Conditions of Service) Ordinance, 2021 ("Ordinance"), now the Tribunal Reforms Act, 2021("TRA 2021") and upon the recommendation of the Committee constituted to take steps further to the said legislation, the Hon'ble Chief Justice of the Delhi High Court has approved the creation of the Intellectual Property Division ("IPD") in the Delhi High Court to deal with matters relating to Intellectual Property Rights ("IPR") except cases to be dealt with by the Division Bench of the Delhi High Court.

Whereas, the Delhi High Court office order No. 667/Original Side/DHC dated 7th July, 2021 records the decision of the Hon'ble Chief Justice to create the IPD.

In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966, Section 129 of the Code of Civil Procedure, 1908, powers conferred under the various Intellectual Property statutes as amended by the TRA 2021, the Delhi High Court hereby makes the following Rules for the matters listed before it's IPD with respect to practice and procedure for the exercise of its original and appellate jurisdiction, and for other miscellaneous petitions arising out of IPR and related statutes.

The substantive provisions governing Intellectual Property matters are contained in The Trade Marks Act, 1999; The Copyright Act, 1957; The Patents Act, 1970; The Designs Act, 2000; The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999; The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001; The Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act, 2000; Information Technology Act, 2000 as also in common law.

1. Short title and commencement

- (i) These Rules shall be called 'The Delhi High Court Intellectual Property Rights Division Rules, 2022'(DHC- IPD Rules, 2022);
- (ii) The Rules shall come into force on such date as the Chief Justice of the Delhi High Court may notify in the Official Gazette.

2. Definitions-In these Rules, unless the context otherwise requires

- (a) "Act" (s) means the statutes mentioned below, as applicable:
 - (i) The Copyright Act, 1957;
 - (ii) The Designs Act, 2000;
 - (iii) The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999;
 - (iv) The Information Technology Act, 2000;
 - (v) The Patents Act, 1970;
 - (vi) The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001;
 - (vii) The Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act 2000;
 - (viii) The Trade Marks Act, 1999;
- (b) "Address for service" means the address furnished by an applicant, appellant, complainant, petitioner, respondent including the currently authorized trade mark agent, patent agent or other agent before the IPO as also the legal practitioner, at which service of summons, notices or other processes may be effected;
- (c) "Agent" includes a trade mark or patent agent as defined under Section 145, Trade Marks Act, 1999 and Section 125, The Patents Act, 1970 duly authorized by the party concerned and who is entitled to appear before the IPD along with a legal practitioner in order to assist the IPD;

- (d) "Appeal" includes an appeal filed before, or transferred to, the IPD under the following sections of the respective Acts with the following nomenclature:
 - (i) Under Section 91 of The Trade Marks Act, 1999[C.A. (Comm. IPD-TM)];
 - (ii) Under Section 72 of The Copyright Act, 1957 [C.A. (Comm. IPD-CR)];
 - (iii) Under Section 117A of The Patents Act, 1970[C.A.(Comm. IPD-PAT)];
 - (iv) Under Section 31of The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 [C.A.(Comm. IPD-GI)];
 - (v) Under Section 56 of The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001[C.A. (Comm. IPD-PV)];
 - (vi) Under Section 42 of the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act, 2000 [C.A. (Comm. IPD-SCD)];
 - (vii) Under Sections 36 of the Designs Act, 2000 [C.A. (Comm. IPD-DE)];
 - (viii) Under Section 62 of the Information Technology Act, 2000 [C.A. (Comm. IPD-IT)]
- (e) "Appellant" means a person before the IPD in appeal as defined in Rule 2(d) and other appeals such as RFA and FAO;
- (f) "Evidence" shall be evidence filed before the IPD including affidavits in evidence filed by the parties and experts along with documents and oral evidence, if recorded;
- (g) "Fee" shall mean the fees prescribed in the Schedule II to these Rules;
- (h) "Form" shall mean the form(s) prescribed in the Schedule I to these Rules;
- (i) "Intellectual Property Rights (IPR) subject matter" for the purpose of these Rules, shall include:
 - (i) Matters pertaining to Patents, Copyrights, Trade Marks, Geographical Indications, Plant Varieties, Designs, Semiconductor integrated circuit layout-designs, Traditional Knowledge and all rights under common law, if any, associated therewith;
 - (ii) Matters relating to passing off, acts of unfair competition, disparagement, comparative advertising etc.;
 - (iii) Protection of trade secrets, confidential information and related subject matters;
 - (iv) Tortious actions related to privacy and publicity rights involving intellectual property issues;
 - (v) Matters pertaining data exclusivity, domain names and other matters relating to data protection involving intellectual property issues, as also those arising under the Act(s) as defined in Rule 2(a);
 - (vi) Matters involving internet violations relating to any of the subject matters under clauses (i) through (v) above.

Explanation:

- (i) for the purpose of these Rules, cases pertaining to the Information Technology Act, 2000 dealing with the rights and liabilities of intermediaries, online market places, and e-commerce platforms involving issues relating to any of the aforementioned subject matters, shall be deemed to be within the purview of intellectual property rights;
- (ii) intermediaries, online market places, and e-commerce platforms shall be interpreted in terms of the definition contained in Section 2(w) of the Information Technology Act, 2000.
- (j) "Intellectual Property Rights Division (IPD)" refers to the division in the Delhi High Court presided over by Single Judges to deal with disputes and cases concerning IPR subject matter;
- (k) "Intellectual Property Office (IPO)" shall mean
 - (i) in case of Trade Marks Office of 'Registrar of Trade Marks';
 - (ii) in case of Copyrights Office of 'Registrar of Copyrights';
 - (iii)in case of Patents- Office of `Controller General of Patents, Designs and Trade Marks';
 - (iv)in case of Geographical Indications-Office of 'Registrar of Geographical Indications';

- (v) in case of Plant Varieties 'Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority' or the 'Plant Varieties Registry', as applicable;
- (vi)in case of Semiconductor Integrated Circuits Layout-Designs Office of the `Registrar of the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design';
- (vii) in case of Designs Office of 'Controller General of Patents, Designs and Trade Marks'.
- (l) "IPR subject matters or cases or proceedings or disputes" shall include all original proceedings, appellate and other proceedings related to IPR subject matter(s)as defined in Rule 2(i) above filed before the IPD and shall also include:
 - (i) Revocation applications, cancellation applications, other original proceedings, appeals and petitions from the various IPOs and all other proceedings which were hitherto maintainable before the Intellectual Property Appellate Board ("IPAB") under provisions of the Act(s);
 - (ii) All suits filed in which IPR subject matter is involved, either under the respective statutes or under common law including suits relating to breach of privacy and rights of publicity;
 - (iii) Writ Petitions (Civil)[WP(C)],Civil Misc. (Mains)[CM(Main)],Regular First Appeal[RFA], First Appeal from Order[FAO], Civil Revision Petition[CRP] arising out of IPR subject matter(s) and disputes dealt with by the Commercial Courts in Delhi, except matters that are to be dealt with by a Division Bench;
 - (iv) All pending proceedings before the IPAB relating to Delhi jurisdiction transferred to the Delhi High Court.
- (m) "legal practitioner" shall have the same meaning as is assigned to it in the Advocates Act, 1961;
- (n) "Patent Suit Rules, 2022" shall mean the High Court of Delhi Rules Governing Patent Suits, 2022;
- (o) **"Petition"** includes a Civil Original Petition, Writ Petition (Civil), Civil Misc. (Main), Civil Revision Petition, and Appeals:
 - (i) A Civil Original Petition means a petition under any of the Act(s)filed before the IPD as an original proceeding;
 - (ii) Writ Petition (Civil) means a petition/application under Article 226 of the Constitution of India *inter alia* for issuance of a writ in the nature of mandamus, certiorari, prohibition, and quo warranto;
 - (iii) Civil Miscellaneous(Main) means a petition under Article 227 of the Constitution of India;
 - (iv) Civil Revision Petition means a Petition under Section 115 of the Code of Civil Procedure, 1908; and
 - (v) Appeals as defined in Rule 2(d) and other appeals such as RFA and FAO filed before the IPD as an appellate proceeding;
- (p) "Pleadings" shall include plaints, written statements, replications, applications, appeals, complaints, counter affidavits, counterstatements, petitions, reviews, replies, rejoinders, rejoinder affidavit filed before the IPD.

3. Applicability

These Rules shall govern and apply to all IPR subject matter(s) or cases or proceedings or disputes before the IPD of the Delhi High Court.

4. Jurisdiction

Every IPR subject matter or case or proceeding or dispute filed before, or transferred to, the IPD, as defined in Rules 2(i), 2(j) and 2(l), shall be heard and adjudicated by a Single Judge of the IPD except those that are to be decided by a Division Bench as per Section 13 of the Commercial Courts Act, 2015.

5. Filing and Nomenclature to be adopted for filing

The filing of IPR subject matter(s) or cases or proceedings or disputes before the IPD shall be under the following categories with the nomenclature given below:

(i) Appeals

Nomenclature:

(a) Civil Appeal (Comm. IPD-TM) under Trade Marks Act, 1999;

- (b) Civil Appeal (Comm. IPD-CR) under Copyright Act, 1957;
- (c) Civil Appeal(Comm. IPD-PAT) under Patents Act, 1970;
- (d) Civil Appeal (Comm. IPD-GI) under Geographical Indications of Goods (registration and Protection) Act, 1999;
- (e) Civil Appeal (Comm. IPD-PV) under Protection of Plant Varieties and Farmers Right Act, 2001;
- (f) Civil Appeal (Comm. IPD-SCD) under The Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act, 2000;
- (g) Civil Appeal (Comm. IPD-DE) under Designs Act, 2000;
- (h) Civil Appeal (Comm. IPD-IT) under Information Technology Act, 2000;

(ii) Civil Original Petitions

Nomenclature:

- (a) Civil Original (Comm. IPD-TM)under Trade Marks Act, 1999;
- (b) Civil Original(Comm. IPD-CR)under Copyright Act, 1957;
- (c) Civil Original(Comm.IPD-PAT)under Patents Act, 1970;
- (d) Civil Original (Comm. IPD-GI)under Geographical Indications of Goods (registration and Protection) Act, 1999;
- (e) Civil Original(Comm. IPD-PV)under Protection of Plant Varieties and Farmers Right Act, 2001;
- (f) Civil Original(Comm. IPD-SCD)under The Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act, 2000;
- (g) Civil Original(Comm. IPD-IT)under Section 46 of the Information Technology Act, 2000, where the claim exceeds INR 5 crores;

(iii) Writ Petitions (Civil)

Nomenclature: Writ Petition (C)-IPD

(iv) <u>Civil Miscellaneous Main</u>

Nomenclature: Civil Misc. (Main)-IPD

(v) Regular First Appeal (RFA)

Nomenclature: RFA-IPD

(vi) First Appeal from Order (FAO)

Nomenclature: FAO-IPD

(vii) Execution First Appeal (EFA)

Nomenclature: EFA-IPD

(viii) Civil Revision Petition (CRP)

Nomenclature: CRP-IPD

6. Procedure for Appeals

- (i) Appeals under Rule 2(d) of the present rules before the IPD shall be filed in the formats/forms prescribed in Schedule I, within the period of limitation as prescribed in the respective Act(s) along with the requisite Court fees as prescribed in Schedule II.
- (ii) Appeals shall consist of the memorandum of parties, synopsis, list of dates, a brief memorandum of appeal, grounds of challenge in the appeal, the order impugned and affidavit of Appellant filing the Appeal along with other details as required in the Form applicable. The Appellant shall disclose the details of any prior litigation pending between the parties with respect to the subject matter in dispute.
- (iii) All relevant forms, correspondence and other relevant documents forming part of the record of the IPO shall ordinarily accompany the appeal.

- (iv) Documents that are not part of the record of the IPO shall generally not be accepted by the IPD except with the leave of the Court.
- (v) Memorandum of appeal shall specify as to whether the documents being filed are part of the record of the IPO and if any additional documents are being filed, the details and relevance thereof shall be specified. Such documents shall be accompanied with an application seeking leave of the Court, in which case principles akin to Order XLI Rule 27 of the Code of Civil Procedure, 1908 would apply.
- (vi) No evidence shall be recorded in Appeals unless the Court deems it necessary. However, the IPD may direct the appearance of any witness, who has deposed before the IPO for the purpose of seeking any clarification.
- (vii) In all Appeals, all the contesting parties before the IPO shall be impleaded as Respondents. The respective IPO shall also be impleaded as a Respondent.
- (viii) Filing of a reply, in an appeal, would be only upon specific directions of the Court, if the need arises. The opposite party shall, however, during the course of hearing or otherwise, be entitled to produce copies of any relevant record intended to be relied upon.
- (ix) Reply, if so directed, shall be filed within the period prescribed by the Court or within 60 days from the date on which the Court directs the filing of such Reply.
- (x) Rejoinder to the reply, if so directed, shall be filed within the period prescribed by the Court or within 30 days from the date on which the Court directs the filing of such Rejoinder.
- (xi) Filing of any further affidavits or pleadings shall be strictly with the leave of the Court.
- (xii) Procedures applicable to Civil Appeals filed before the Single Judge: The Delhi High Court Rules and Orders, as also the practice directions, issued from time to time, to the extent there is no inconsistency with these Rules, shall be applicable to appeals filed before the IPD.

7. Procedure for Original Petitions (Civil Original Petition)

- (i) Original petition shall consist of memorandum of parties, synopsis, list of dates and all other details specified in the respective forms and shall be accompanied by the affidavit of the Petitioner/party filing the petition.
- (ii) The parties shall also file all other relevant documents in support of the relief sought in the original petition. If interim orders are sought by the Petitioner, an application under Order XXXIX Rule 1 and Rule 2, Code of Civil Procedure, 1908 shall be filed setting out the grounds for such interim order. Averments shall be made in the original petition specifying as to which of the documents filed form part of the record of the IPO.
- (iii) Original petitions filed before the IPD under the respective statutes shall be filed in the formats/forms prescribed in Schedule I of the present Rules [within the period of limitation, if any, as prescribed in the respective Act(s)] along with the requisite Court fees prescribed in Schedule II.
- (iv) Original petitions shall be accompanied with all the relevant records from the respective IPO including the relevant correspondence.
- (v) In case of an original petition relating to patents, the complete specification of the patent along with different versions/claims, if relevant, as also the relevant forms filed before the IPO, shall also be filed.
- (vi) Documents shall be read as part of the record, unless challenged by any party. Such challenge shall be raised at the very first instance i.e. in the Reply or Rejoinder along with an affidavit of admission/denial. The admission/denial of the said document(s) shall be conducted as per the Delhi High Court (Original Side) Rules, 2018. Denial of documents which is evasive or without just reason or cause, would be liable to be penalized with costs.
- (vii) Framing of issues shall not be compulsory in the original petitions. In revocation/cancellation petitions, the Court may frame issues if deemed necessary. Upon completion of pleadings, the Court may proceed to hear the petition finally.
- (viii) Filing of evidence may be directed by the Court, only if the same is deemed necessary. The evidence shall usually be in the form of affidavits. Oral evidence including cross-examination may be directed for reasons to be recorded in the order of the Court. If oral evidence is directed, the procedure for recording of evidence and other related procedures shall be governed by these Rules as well as the Delhi High Court (Original Side) Rules, 2018. In revocation/cancellation petitions, upon framing of issues, the court may direct filing of evidence by way of affidavit.

- (ix) Reply, if so directed, shall be filed within the period prescribed by the Court or shall be filed within 60 days from the date on which the Court directs the filing of such Reply.
- (x) Rejoinder to the reply, if so directed, shall be filed within the period prescribed by the Court or within 30 days from the date on which the Court directs the filing of such Rejoinder.
- (xi) Filing of any further affidavits or pleadings shall be strictly with the leave of the Court.
- (xii) In case of petitions seeking revocation/cancellation, the Court may direct consolidation of the said petition with a suit for infringement involving the same IPR subject matter.
- (xiii) Procedures applicable to original petitions: The provisions of the Commercial Courts Act, 2015, Delhi High Court (Original Side) Rules, 2018 and orders as also the practice directions issued from time to time, to the extent there is no inconsistency with these Rules, shall be applicable to original petitions filed in the IPD.

8. Procedure for Writ Petitions (Civil)

- (i) Writ Petitions filed before the IPD, challenging any orders passed by the IPO/authority, shall consist of a synopsis and list of dates and events, memo of parties, memorandum of the writ petition including grounds of challenge, prayer/relief sought, affidavit in support. The Petitioner shall also state both in the application and in the affidavit whether any other remedy was availed of in respect of the same impugned order and if so, provide details thereof including any order passed therein.
- (ii) The impugned order, where applicable, shall be annexed with the writ petition.
- (iii) Procedures applicable to Writ Petitions (Civil): The Delhi High Court Rules and orders, as also the practice directions issued from time to time, to the extent there is no inconsistency with these Rules, shall be applicable to writ petitions filed before the IPD.

9. Procedure for Civil Miscellaneous Main Petition

- (i) The Civil Miscellaneous Main Petitions challenging orders passed by the Commercial Courts or other district courts/civil courts, relating to IPR disputes shall be filed and listed before the IPD. The formats for the said petitions will be governed by The Delhi High Court Rules and Orders.
- (ii) The Civil Miscellaneous Main Petition shall consist of the memo of parties, synopsis and list of dates and events, memorandum of the civil miscellaneous main petition, the grounds challenging the order, prayer/the relief sought, affidavit and the impugned order.
- (iii) The petitioner shall file the relevant pleadings of the original proceedings, relevant order sheets, issues, if framed, in the case, pleadings in the relevant interim applications and documents which the petitioner intends to rely upon.
 - Provided that every endeavor shall be made to place on record pleadings/documents (other than case law) referred to in the impugned order.
- (iv) Filing of a reply would be only upon specific directions of the Court, if the need arises. The opposite party shall, however, during the course of hearing or otherwise, be entitled to produce copies of any relevant record intended to be relied upon.

10. Procedure for Regular First Appeal (RFA)

- (i) Regular First Appeals shall be governed by The Delhi High Court Rules and Orders/practice directions, and pleadings shall be filed as per the Forms/formats prescribed therein.
- (ii) Appeals shall consist of the memo of parties, synopsis, list of dates and events, memorandum of regular first appeal, grounds of challenge to the judgment/decree appealed from/challenge in the appeal, prayer/relief prayed for. Certified copy of the judgment/decree impugned shall be filed within the period of limitation along with affidavit.
- (iii) The entire record forming part of the original proceeding shall be filed with the RFA, to the extent possible.
 - Provided that every endeavor shall be made to place on record pleadings/documents (other than case law) referred to in the impugned order.
- (iv) Filing of a reply would be only upon specific directions of the Court, if the need arises. The opposite party shall, however, during the course of hearing or otherwise, be entitled to produce copies of any relevant record intended to be relied upon.

11. Procedure for First Appeal from Order (FAO)

- (i) The First Appeal from Order shall be governed by The Delhi High Court Rules and Orders, and pleadings shall be filed as per the Forms/formats prescribed therein.
- (ii) Appeals shall consist of the memo of parties, synopsis, list of dates and events, memorandum of first appeal from order, grounds of challenge to the order appealed from/grounds of challenge in the appeal, prayer/relief sought, order impugned and affidavit.
- (iii) The appellant shall file the relevant pleadings of the original proceedings, relevant order sheets, issues, if framed, in the case, pleadings in the relevant interim applications and documents which the petitioner intends to rely upon.
 - Provided that every endeavor shall be made to place on record pleadings/documents (other than case law) referred to in the impugned order.
- (iv) Filing of a reply would be only upon specific directions of the Court, if the need arises. The opposite party shall, however, during the course of hearing or otherwise, be entitled to produce copies of any relevant record intended to be relied upon.

12. Procedure for Civil Revision Petition (CRP)

- (i) Civil Revision Petitions shall be governed by The Delhi High Court Rules and Orders/Practice directions. Pleadings therein shall be filed as per the Forms / formats prescribed therein.
- (ii) Revision Petitions shall consist of the memo of parties, synopsis, list of dates and events, memorandum of revision petition, grounds of challenge to the impugned order, prayer/relief sought, order impugned and affidavit.
- (iii) The petitioner shall file the relevant pleadings of the original proceedings, relevant order sheets, issues if framed in the case, pleadings in the relevant interim applications and documents which the petitioner intends to rely upon.
 - Provided that every endeavor shall be made to place on record pleadings/documents (other than case law) referred to in the impugned order.
- (iv) Filing of a reply would be only upon specific directions of the Court, if the need arises. The opposite party shall, however, during the course of hearing or otherwise, be entitled to produce copies of any relevant record intended to be relied upon.

13. Additional Provisions for CM (Mains), RFAs, FAOs, and CRPs

- (i) It shall be sufficient if copies of the documents mentioned in Rule 9, Rule 10, Rule 11 and Rule 12 above are filed with self-certification of the counsel for the petitioner/appellant to the effect that each such document is the true copy of its respective original in the file of the Trial Court.
- (ii) Ordinarily, the Court may decide these Petitions and Appeals on the basis of the grounds raised in the petition/memorandum of appeal and the record filed with the same.

14. Procedure for Suits

- (i) Suits before the IPD shall be governed by the provisions of The Commercial Courts Act, 2015, Code of Civil Procedure, 1908 as applicable to commercial suits and the Delhi High Court (Original Side) Rules, 2018.
- (ii) In addition to these Rules, Patent suits and actions shall be governed by the Patent Suit Rules, 2022.

15. Recording of Evidence

If, in the opinion of the Court, it is expedient to do so, the Court may direct:

- (i) The recording of evidence through video conference as per the High Court of Delhi Rules for Video Conferencing for Courts 2021;
- (ii) The recording of evidence at any venue outside the premises of the Court;
- (iii) The recording of evidence by a Local Commissioner;
- (iv) The use of videography and transcription technology or any other form of recording evidence.

16. Hot-tubbing or other modes of recording evidence

In the case of evidence by experts, the same may be recorded by resorting to procedures such as Hot-tubbing, as provided for in Rule 6, Chapter XI, Delhi High Court (Original Side) Rules, 2018, or other such modes, as the Court deems fit.

17. Discovery and Disclosure

- (i) The procedure relating to the disclosure and discovery of documents (including by way of interrogatories) shall be governed by the Code of Civil Procedure, 1908 as amended by the Commercial Courts Act, 2015;
- (ii) Parties withholding discovery, or attempting to scuttle the process of discovery, would be liable to be penalized with costs as determined by the Court.

18. Preservation of Evidence by parties

- (i) Upon initiating, or receiving notice about the institution of, proceedings before the IPD, the parties to the proceedings shall preserve all documentary, tangible and electronic material relating to the subject matter of the proceedings which is capable of being relied upon as evidence;
- (ii) Prior to the initiation of proceedings, a party may issue a Litigation Hold Notice (LHN) to such other party(ies) against whom proceedings are sought to be initiated. The recipient of such LHN shall, upon being duly served, be bound to preserve all documentary, tangible and electronic material relating to the subject matter of the proceedings which is capable of being relied upon as evidence
 - Provided that, the party issuing the LHN is expected to commence litigation within a reasonable time, not exceeding one year from the date of the LHN, beyond which such obligation to preserve evidence would cease to apply.
- (iii) Such material shall be preserved from the date on which the obligation to preserve such material arose under clause (i) or (ii) above, and in a manner so as to ensure that the same is not editable or cannot be tampered with;
- (iv) Such material shall be preserved for the duration of the litigation, including appellate proceedings, if any. In the event no appeal has been filed, the parties shall be at liberty to freely deal with such material only upon the completion of six (6) months from the date of closure of the original proceedings;
- (v) In addition to remedies under civil and criminal law, failure to comply with this Rule would be liable to be penalized with costs as determined by the Court.

Explanation:

For the purpose of Rule 18, documentary, tangible and electronic material to be preserved shall include documents in tangible or electronic form including letters, memos, internal and external correspondence, graphic representations of any kind, images, sounds, and data stored in any medium relating to the subject matter of the proceedings.

19. Confidentiality clubs and redaction of confidential information

(i) At any stage in a proceeding, the Court may constitute a confidentiality club or adopt such measures as appropriate, consisting of lawyers (external & in-house), experts as also nominated representatives of the parties, for the preservation and exchange of confidential information filed before the Court including documents, as per the Delhi High Court (Original Side) Rules, 2018.

Such nominated representatives of the parties, appointed to the Club, may *inter alia*, be persons who are not in charge of, or active in, the day-to-day business operations and management of the respective parties so as to maintain the integrity of the information so disclosed.

The members so constituting the Club shall be bound to desist from disclosing, sharing or utilizing, including to third parties, the confidential or sensitive information that they may access, or become privy to, in the course of proceedings;

- (ii) The Court may, upon a request made by way of an application, direct the redaction of such information (including documents) it deems to be confidential;
- (iii) If any redacted pleading/document is sought to be filed as being confidential, a non-redacted version of the same may be filed in a sealed cover along with an application supporting such claim for redaction.

20. Damages/Account of profits

A party seeking damages/account of profits, shall give a reasonable estimate of the amounts claimed and the foundational facts/account statements in respect thereof along with any evidence, documentary and/or oral led by the parties to support such a claim. In addition, the Court shall consider the following factors while determining the quantum of damages:

- (i) Lost profits suffered by the injured party;
- (ii) Profits earned by the infringing party;
- (iii) Quantum of income which the injured party may have earned through royalties/license fees, had the use of the subject IPR been duly authorized;
- (iv) The duration of the infringement;
- (v) Degree of intention/neglect underlying the infringement;
- (vi) Conduct of the infringing party to mitigate the damages being incurred by the injured party;

In the computation of damages, the Court may take the assistance of an expert as provided for under Rule 31 of these Rules.

21. Pleadings to be accompanied by affidavit of authorized representative and relevant documents

All pleadings shall be accompanied by the affidavit of the authorized representative/parties concerned and documents establishing the authorization such as Board Resolution and Power of Attorney.

22. Advance Copy

In all matters filed before the IPD, advance copy shall be served at the address for service, as also through email, at least two working days in advance, upon the Respondents including the counsels/agents, who may have represented the Respondents before the IPO, or trial court, or authority, as the case may be. Along with the advance copy so provided, the likely date of listing shall be intimated. Upon advance copy being served, parties/counsels/agents/authority shall be represented on the first date of hearing before the Court. For the sake of expeditious disposal, if in the opinion of the Court no further notice is required, and if satisfactory proof of service is furnished, no further notice would ordinarily be issued and the matter may be heard and disposed of on the first day of listing.

Provided that, in the facts and circumstances of a given case, and on an application, the Court may dispense with advance service.

23. Nomination of Counsel by the IPO

The respective IPOs may nominate their counsel in order to appear before the IPD as also for production of records, if called for.

24. Process Fee

There shall be a one-time process fee as prescribed in The Delhi High Court (Original Side) Rules, 2018 with necessary modifications to include Appellant and Petitioner as Plaintiff and Respondent as the Defendant.

25. Intervention by third parties

In the matters listed before the IPD, intervention by the third parties may be permitted *suo moto* or on an application by any person unless prohibited by law. Such person shall seek to intervene by means of an application stating the nature of interest before the Court. The Court may refuse or grant leave after hearing all concerned parties, if so required, and on such terms and conditions as it deems fit.

26. Consolidation of IPR subject matters or cases or proceedings or disputes

Where there are multiple proceedings relating to the same or related IPR subject matter, irrespective of whether the said proceedings are between the same parties or not, the Court shall have the power and the discretion, wherever appropriate, to direct consolidation of proceedings, hearings, and also to direct consolidated recording of evidence/common trial and consolidated adjudication. If the Court is of the opinion that any matter pending before a Commercial Court is to be consolidated with a matter pending before the IPD, it may exercise powers of transfer under Section 24, Code of Civil Procedure, 1908 for transfer and consolidation of such matter to itself.

27. Summary Adjudication

In cases before the IPD, the Court may pass summary judgment, without the requirement of filing a specific application seeking summary judgment on principles akin to those contained in Order XIIIA, Code of Civil Procedure, 1908 as applicable to commercial suits under the Commercial Courts Act, 2015.

28. Application of Statutes

The IPD, as may be applicable to the cases listed before it, apply the provisions of:

- (i) The Commercial Courts Act, 2015 for suits and counter claims in matters relating to IPR subject matter(s); and
- (ii) Patent Suit Rules, 2022 for Patent related disputes and actions.

29. General Clause

Procedures not specifically provided for in these Rules shall, in general, wherever applicable, be governed by The Civil Procedure Code, 1908, as applicable to commercial disputes, The Commercial Courts Act, 2015, Indian Evidence Act, 1872 and the Delhi High Court (Original Side) Rules, 2018.

30. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Rules, the Court may, by order, make such provision not inconsistent with these Rules as may appear to be necessary or expedient for removing such difficulty.

31. Panel of Experts

The Court may, in any IPR subject matter, seek assistance of expert(s) (including individuals and institutions) relating to the subject matter of the dispute as may be necessary. The opinion of the expert shall be persuasive in nature and shall not be binding on the Court. The IPD may maintain a panel of experts to assist the Court and which panel may be reviewed from time to time. The remuneration of the expert(s) shall be decided by the IPD. Prior to appointment, a declaration will be provided by the expert that he or she has no conflict of interest with the subject matter of the dispute and will assist the Court fairly and impartially.

Provided that the protocol to be followed by such expert(s) shall be prescribed by the IPD, from time to time.

32. Law Researcher(s)

- Judges of the IPD shall have the assistance of additional Law Researchers who shall possess technical qualifications. Such Law Researcher(s) shall be part of a common pool of Law Researchers for the IPD. The number of law researchers would be at least two in number for each Bench of the IPD. The said Law Researchers would be attached to the IPD and not with the individual Judge concerned;
- (ii) Such Law Researcher(s) may possess a degree in any technical field or specialization in any IPR subject matter or have experience in the field of intellectual property;
- (iii) The appointment of such Law Researcher(s) shall be by a Committee designated by the Chief Justice;
- (iv) Law Researcher(s) shall be appointed on the same terms as applicable to other Law Researchers appointed in the Delhi High Court. The remuneration of such Law Researcher(s) shall usually be the prevailing remuneration for law researchers of the Delhi High Court. However, in exceptional cases, higher remuneration may also be approved by the Chief Justice;
- (v) Law Researcher(s) with such qualifications may also be appointed to assist Division Benches dealing with cases involving IPR subject matter(s);
- (vi) Such Law Researcher(s) shall be in addition to the law researchers appointed for assistance of Judges under the Delhi High Court Rules;
- (vii) Prior to appointment, a declaration shall be provided by the Law Researcher(s) that he or she has no conflict of interest with the subject matter of the dispute and will assist the court fairly and impartially.

33. Strict guidelines for written submissions and timelines for oral submissions

The Court may direct the filing of written submissions in advance, prior to the date fixed for oral arguments. The Court may also fix specific timeslots and restricted time limits for oral arguments, as deemed appropriate.

34. Patents/Trade Mark Agents

Before the IPD, Agents who are registered as Patent agents or Trade Mark agents, as also any professional/academician having knowledge of the said subject matter of the dispute shall have a right of audience, when permitted by the Court, to appear along with the counsels/legal practitioners representing the parties to assist the Court.

35. Costs

In cases before the IPD, actual costs may be awarded by the Court as already provided for in the Delhi High Court (Original Side) Rules, 2018.

36. Accessibility and Reasonable Accommodations

(i) All filings before the IPD shall be in a Portable Document Format with Optical Character Recognition (OCR) enabled with image resolution of at least 300 dots per inch (dpi);

(ii) The Court, *suo motu* or upon a request made by way of application, may issue such direction(s) that it deems necessary for providing reasonable accommodation to such person(s) with a specified disability as recognized under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 for the sole purpose of participating in the proceedings before the IPD.

37. Mediation and Early Neutral Evaluation (ENE)

- (i) At any stage, in any proceeding, if the Court is of the opinion that the parties ought to explore mediation, the Court may appoint a qualified mediator or panel of mediators including mediators with training or experience in IPR subject matter(s). Consent of the parties is not required once the Court is of the opinion that an amicable resolution needs to be explored;
- (ii) Such mediation will be conducted under the aegis of the Delhi High Court Mediation and Conciliation Centre and, where necessary, in collaboration with the relevant IPO;
- (iii) At any stage the court may also direct ENE by appointing a qualified and independent evaluator if it is of the opinion that such ENE would assist in early resolution;
- (iv) Mediation/ENE proceedings may proceed concurrently with the legal proceedings before the Court so as not to delay adjudication.

38. Appeals from orders of the IPD

Appeals, if maintainable, shall lie against orders of the IPD to the Division Bench either:

- (i) In the form of a Letters Patent Appeal (LPA); or
- (ii) In the form of appeals to the Commercial Appellate Division under Section 13, Commercial Courts Act, 2015.

39. Condonation of delay

In case of delay in filing of petitions, appeals or any other proceeding beyond the relevant limitation period, if any, the Court shall have the power to condone delay on principles akin to Section 5 of the Limitation Act, 1963 provided that an application demonstrating sufficient cause to explain such delay is filed.

40. Cases transferred from the IPAB

All cases under various categories received in the Delhi High Court from the IPAB shall be registered and listed before the IPD, and given the nomenclature as provided for in these Rules. The IPD shall broadly follow these Rules for the adjudication and disposal of the said cases, to such extent as possible.

SCHEDULE I

FORM-I

[Form under Section 47/57/125 of the Trade Marks Act, 1999]

IN THE HICH COUDT OF DELUI AT NEW DELUI

IN THE HIGH COURT OF BEEM AT NEW BEEM
(Intellectual Property Division – Original Civil Jurisdiction
C.O. (CommIPD/TM) of

...Petitioner(s)/Applicant(s)

(Full Name, address, e-mail and mobile number of the petitioner(s)/applicant(s). In case of foreign petitioner(s)/applicant(s), address for service in India to be furnished)

Versus

...Respondent(s)

(Full Name(s), address, e-mail and mobile number of the Respondent(s). In case of foreign Respondent(s),

address for service in India to be furnished)

PETITION/APPLICATION UNDER SECTION47/ 57/ 125 OF THE TRADE MARKS ACT, 1999 FOR

(sco	re out th	e provision not applicable)	
The	Petitione	r(s)/ Applicant(s) above named respectfully submits as under	:
1.	Full Name of the Advocate :		
2.	Addres	ss, e-mail and mobile number of the Advocate	:
3.	Name	and address of the Trade Marks Agent, if any	:
4.	Trade	mark sought to be cancelled/varied/rectified -	:
	(i)	Registration no.	
	(ii)	Word mark/Device mark	
		(The mark as appearing in the Registration Certificate be affixed)	
	(iii)	Date of filing of Application	
	(iv)	Date of advertisement in the Trade Marks Journal and details thereof	
	(v)	Details of Opposition(s) filed if any	
	(vi)	Date of grant of registration	
	(vii)	Renewal details	
5.	Relief	prayed and relevant section(s)	:
5.	Proprie	etor of the registered trade mark	:
7.	Details	s of predecessor-in-interest of the trade mark, if any	:
8.		t status of the trade mark (print out from the website of the ry of Trade Marks to be attached)	:
9.	Date of	f user claimed in the application for trade mark.	:
10.	Disclai	imer/other conditions, if any	:
11.	Interes	t of the petitioner, in brief	:
12.	Ground	ds for seeking relief	:
13.	Details of any other proceedings pending with respect to the same trade mark within the knowledge of the petitioner/Applicant including the forum		:
14.	Prayer		:
			[Name & Signature of the Advocate for the Petitioner(s)/Applicant(s)]
15.	Verific	cation	:
			(Signature of the Petitioner(s)/ Applicant(s)
16	Affida	vit in support	

List of Documents

- 1. Copy of registration certificate/legal proceeding certificate obtained by the respondent in respect of the impugned mark. If the same is not available, copy of the certificate, along with the trademark journal and any documents showing conditions which may have been imposed on the registration, be filed.
- 2. Current status of the trade mark printed from the website of the Trade Marks Registry.
- 3. Any other relevant document(s)

NOTE:

- 1. All the pleadings shall be accompanied by the affidavit of the authorised representative of the party concerned.
- 2. Documents establishing authorization such as Power-of-Attorney, Board Resolution etc. shall accompany the petition.

FORM-II

			[COURT FEES:
	IN THE HIGH COURT OF DELHI AT N	NEW DELHI	
	(Intellectual Property Division – Appellato	jurisdiction)
	C.A. (Comm-IPD/TM) of		
			Appellant(s)
the	Name, address, e-mail and mobile number of Appellant(s). In case of foreign Appellant(s), ess for service in India to be furnished)		
	Versus		
			Respondent(s)
-	ondent(s)address for service in India to be (shed)		
APP TRA	EAL UNDER SECTION 91 OF THE TRADE MARKS ACT, ADE MARKS RULES, 2017 CHALLENGING THE ORD		
APP TRA	PEAL UNDER SECTION 91 OF THE TRADE MARKS ACT, ADE MARKS RULES, 2017 CHALLENGING THE ORD appellant(s) above named respectfully submits as under		
APP TRA	PEAL UNDER SECTION 91 OF THE TRADE MARKS ACT, ADE MARKS RULES, 2017 CHALLENGING THE ORD appellant(s) above named respectfully submits as under Full Name of the Advocate		
APP TRA The	PEAL UNDER SECTION 91 OF THE TRADE MARKS ACT, ADE MARKS RULES, 2017 CHALLENGING THE ORD appellant(s) above named respectfully submits as under Full Name of the Advocate Address, e-mail and mobile number of the Advocate		
APP TRA	PEAL UNDER SECTION 91 OF THE TRADE MARKS ACT, ADE MARKS RULES, 2017 CHALLENGING THE ORD appellant(s) above named respectfully submits as under Full Name of the Advocate Address, e-mail and mobile number of the Advocate Name and address of the Trade Mark Agent, if any		
APP TRA The	PEAL UNDER SECTION 91 OF THE TRADE MARKS ACT, ADE MARKS RULES, 2017 CHALLENGING THE ORD appellant(s) above named respectfully submits as under Full Name of the Advocate Address, e-mail and mobile number of the Advocate		
APP TRA	PEAL UNDER SECTION 91 OF THE TRADE MARKS ACT, ADE MARKS RULES, 2017 CHALLENGING THE ORD appellant(s) above named respectfully submits as under Full Name of the Advocate Address, e-mail and mobile number of the Advocate Name and address of the Trade Mark Agent, if any Date of the impugned order appealed against		
APP TRA	PEAL UNDER SECTION 91 OF THE TRADE MARKS ACT, ADE MARKS RULES, 2017 CHALLENGING THE ORD appellant(s) above named respectfully submits as under Full Name of the Advocate Address, e-mail and mobile number of the Advocate Name and address of the Trade Mark Agent, if any Date of the impugned order appealed against Authority which passed the impugned order		
APP TRA The 1	PEAL UNDER SECTION 91 OF THE TRADE MARKS ACT, ADE MARKS RULES, 2017 CHALLENGING THE ORD appellant(s) above named respectfully submits as under Full Name of the Advocate Address, e-mail and mobile number of the Advocate Name and address of the Trade Mark Agent, if any Date of the impugned order appealed against Authority which passed the impugned order Provision under which the impugned order passed Period of limitation Delay, if any, in filing the appeal and reasons thereof		
APP TRA The 2. 3. 4. 5. 7. 3.	PEAL UNDER SECTION 91 OF THE TRADE MARKS ACT, ADE MARKS RULES, 2017 CHALLENGING THE ORD appellant(s) above named respectfully submits as under Full Name of the Advocate Address, e-mail and mobile number of the Advocate Name and address of the Trade Mark Agent, if any Date of the impugned order appealed against Authority which passed the impugned order Provision under which the impugned order passed Period of limitation Delay, if any, in filing the appeal and reasons thereof Grounds of appeal		
APP TRA The 1	PEAL UNDER SECTION 91 OF THE TRADE MARKS ACT, ADE MARKS RULES, 2017 CHALLENGING THE ORD appellant(s) above named respectfully submits as under Full Name of the Advocate Address, e-mail and mobile number of the Advocate Name and address of the Trade Mark Agent, if any Date of the impugned order appealed against Authority which passed the impugned order Provision under which the impugned order passed Period of limitation Delay, if any, in filing the appeal and reasons thereof		
APP TRA The 1. 2. 3. 4. 5.	PEAL UNDER SECTION 91 OF THE TRADE MARKS ACT, ADE MARKS RULES, 2017 CHALLENGING THE ORD appellant(s) above named respectfully submits as under Full Name of the Advocate Address, e-mail and mobile number of the Advocate Name and address of the Trade Mark Agent, if any Date of the impugned order appealed against Authority which passed the impugned order Provision under which the impugned order passed Period of limitation		

12.	Verification	(Name & Signature of the Advocate/Appellant(s)) :
		[Signature of the Appellant(s)]
13.	Affidavit in support.	:

List of Documents

- 1. Copy of the impugned order passed by the IPO
- 2. Any other relevant documents forming part of the record of the IPO.

NOTE:

- 1. All the pleadings shall be accompanied by the affidavit of the authorised representative of the party concerned.
- Documents establishing authorization such as Power-of-Attorney, Board Resolution etc. shall accompany the appeal.

FORM-III

[Form under Section 19A of the Copyright Act 1957]

(COURT	FEES:	,
--------	-------	---

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

(Intellectual Property Division - Original Civil Jurisdiction)

C.O. (CommIPD/CR)	of
-------------------	----

...Petitioner(s)/Complainant(s)

(Full Name, address, e-mail and mobile number of the Complainant (s). In case of foreign Complainant (s), address for service in India to be furnished)

Versus

...Respondent(s)

(Full Name(s), address, e-mail and mobile number of the Respondent(s). In case of foreign Respondent(s), address for service in India to be furnished)

PETITION/COMPLAINT UNDER SECTION 19A OF THECOPYRIGHT ACT, 1957

The Petitioner(s)/complainant(s) above named respectfully submits as under:

- 1. Full Name of the Advocate :
- 2. Address, e-mail and mobile number of the Advocate
- 3. Name, address, e-mail, mobile number and nationality of the owner/Author/assignor
- 4. Description of the work (Literary, Dramatic Musical, Artistic, : Cinematograph Film, Sound Recording) including
 - i. Title of the work
 - ii. Name, address and nationality of the publisher
 - iii. Year of first and last publication
 - iv. Country of first and last publication
- 5. If the copyright in the work is registered, details of : registration be provided

6.	Date of Assignment (copy of assignment deed be attached)	:
7.	Grounds for revocation of assignment or Nature of dispute relating to the assignment	:
8.	Details of any other proceedings pending with respect to the same work within the knowledge of the complainant(s)	:
9.	Royalty payable, if any and justification thereof	:
10.	Prayer	:
11.	Verification	[Name & Signature of the Advocate for the Petitioner(s)/Complainant(s)] :
		(Signature of the Petitioner(s)/Complainant (s)
12.	Affidavit in support	:
List	of Documents	
1. 2.	Copy of assignment deed be attached Any other relevant documents	
NO	ΓE:	
1. 2.	All the pleadings shall be accompanied by the affidavit of the a Documents establishing authorization such as Power-of-Attorpetition.	
<u>FOI</u>	RM-IV	
	[Form under Sections 31/31A/31B/31C/31D/32/32/	A/33Aof the Copyright Act 1957]
		(COURT FEES:
	IN THE HIGH COURT OF DELHI	AT NEW DELHI
	(Intellectual Property Division – Origin	al Civil Jurisdiction)
	C.O. (CommIPD/CR) of	
		Petitioner(s)/Complainant(s)/Applicant(s)
the case Petit	Name, address, e-mail and mobile number of Petitioner(s)/Complainant(s)/Applicant(s). In	
	Versus	
		Respondent(s)
(Full	l Name(s), address, e-mail and mobile number of	•
the I	Respondent(s). In case of foreign Respondent(s),	

PETITION/COMPLAINT/APPLICATION UNDER SECTIONS 31/31A/31B/31C/31D/32/32A/33A OFTHE COPYRIGHT ACT, 1957.

(score out the provision not applicable)

The petitioner(s)/complainant(s)/ applicant(s) above named respectfully submits as under:

- 1. Full Name of the Advocate
- 2. Address, e-mail and mobile number of the Advocate
- 3. Name, address, e-mail, mobile number and nationality of the owner/Author, if known. If owner/author is dead, details of heirs, legal representatives if known to the Petitioner(s)/Complainant(s)/Applicant(s)
- 4. Details of copyright society, if applicable
- 5. Description of the work (Literary, Dramatic Musical, Artistic, Cinematograph Film, Sound Recording) for which licence is sought/tariff is to be paid
 - i. Title of the work
 - ii. Name, address and nationality of the publisher
 - iii. Whether work is published/unpublished
 - iv. Year of first and last publication
 - v. Country of first and last publication
- 6. If the work(s) for which licence is sought is a Collection/Repertoire or a part thereof, then the name of the copyright owner of the entire Collection/Repertoire
- 7. Details of Tariff Scheme published by the Copyright society, if applicable
- 8. If the licence is applied for reproduction, publishing or re: publishing/issuance of copies
 - i. Medium through which copies would be issued print/electronic/digital/online
 - ii. Estimated cost of the work to be published
 - iii. Proposed retail price per copy of the work
 - iv. Rate of royalty, currently being charged by the owner, if available or prevailing standards of royalty for such works
 - Rate of royalty, last paid by the Complainant(s), if applicable
 - vi. Rate of royalty, which the Complainant(s) considers reasonable to be paid to the copyright owner
 - vii. Means available to the Complainant (s) for payment of royalty
 - viii. Language of proposed publication
- 9. If the licence is applied for performance in public
 - i. Number of performances of work proposed to be made under the licence applied for
 - ii. Proposed place(s), date(s) and venue(s) of performance
 - iii. Estimated cost of each performance
 - iv. Rate charged by the owner for comparable performances, if available or prevailing standards of royalty for such works
 - v. Rate of royalty, which the applicant considers reasonable, to be paid to the copyright owner
 - vi. Means available to the Complainant(s) for payment of

royalty

- 10. If the licence is applied for communication to public by broadcast
 - Duration of broadcast and the number of times it is proposed to be broadcast
 - ii. The name of the channels and territorial coverage of the broadcast
 - iii. Prevailing standards of royalties in regard to such works
 - iv. Rate of royalty, which the applicant considers reasonable, to be paid to the copyright owner
 - v. Means of the applicant for payment of the royalty
- 11. Details of publication in newspaper as per Section 31A(2)
- 12. Nature of activities of the Petitioner(s)/Applicant(s)/Complainant(s)undertaken for persons with disability as per Section 31B, if applicable
- 13. Details of prior notice given under Section 31C(2) or 31D(2), if applicable
- 14. Whether the licence sought is in respect of a work which is not an Indian work, for the purposes of teaching, scholarship, research, systematic instructional activities or for dissemination of the results of specialised, technical or scientific research to experts in a particular field under Section 327
- 15. Whether the Petitioner(s)/Complainant (s)/Applicant(s) sought a licence from the owner of copyright? If so details thereof
- 16. Whether copies of the work are available in India or have been put on sale in India?
- 17. Grounds for grant of Compulsory Licence/opposing Tariff Scheme
- 18. Prayer

[Name & Signature of the Advocate for the Petitioner(s)/ Complainant(s)/Applicant(s)]

19. Verification

(Signature of the Petitioner(s)/ Complainant(s)/Applicant(s)

20. Affidavit in support

List of Documents

- 1. Copy of assignment deed, if applicable.
- 2.All other relevant documents forming part of the record of the IP Office.

NOTE:

1. All the pleadings shall be accompanied by the affidavit of the authorised representative of the party concerned.

2. Documents establishing authorization such as Power-of-Attorney, Board Resolution etc. shall accompany the petition.

FORM-V

10.

11.

Amount

Prayer

and

	[Form under Section 31C(5)of The Copyr	right Act, 1957]	
			(COURT FEES:
	IN THE HIGH COURT OF DELHI AT N	NEW DELHI	
	(Intellectual Property Division – Original Ci	ivil Jurisdiction)	
	C.O. (CommIPD/CR) of		
	Pet	itioner(s)/Complair	nant(s)/Applicant(s)
the case Petitio	Name, address, e-mail and mobile number of Petitioner(s)/Complainant(s)/Applicant(s). In		
	Versus		
			Respondent(s)
addres	espondent(s). In case of foreign Respondent(s), ss for service in India to be furnished) TION/COMPLAINT/APPLICATION UNDER SECTION 31C(stitioner(s)/complainant(s)/applicant(s) above named respectfully sul		RIGHT ACT, 1957.
1.	Full Name of the Advocate	·	
2.	Address, e-mail and mobile number of the Advocate	•	
3.	Details of ownership of Sound Recordings for which relief claimed by Petitioner(s)/Complainant(s)/Applicant(s)	is :	
4.	Details of the cover versions being published by the Respondent(s	s) :	
5.	Details of prior notice issued by the Respondent(s) to the Owner(s)/Petitioner(s)/Complainant(s)/Applicant(s)	he :	
6.	Royalty paid, if any	:	
7.	Alterations made by the Respondent (s), if any	:	
8.	Breach(es) by the Respondent(s)	:	
9.	Whether order of injunction ceasing the making of further copies the Sound Recording is sought. If so grounds thereof	of :	

12. Verification

of

royalty

claimed

by

the :

:

details

Petitioner(s)/Complainant(s)/Applicant(s)

(Signature of the Petitioner(s)/Complainant(s)/Applicant(s)

13. Affidavit in support

List of Documents

1. Relevant document(s).

NOTE:

- All the pleadings shall be accompanied by the affidavit of the authorised representative of the party concerned.
- 2. Documents establishing authorization such as Power-of-Attorney, Board Resolution etc. shall accompany the petition.

FORM-VI

[Form under Section 50 of the Copyright Act 1957]

(COURT FEES:

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

(Intellectual Property Division – Original Civil Jurisdiction)

C.O. (Comm.-IPD/CR)____ of ____

...Petitioner(s)/Complainant(s)/Applicant(s)

(Full Name, address, e-mail and mobile number of the Petitioner(s)/Complainant(s)/Applicant(s). In case of foreign Petitioner(s)/Complainant(s)/Applicant(s), address for service in India to be furnished)

Versus

...Respondent(s)

(Full Name(s), address, e-mail and mobile number of the Respondent(s). In case of foreign Respondent(s), address for service in India to be furnished)

PETITION/COMPLAINT UNDER SECTION 50 OF THECOPYRIGHT ACT, 1957

The Petitioner(s)/Complainant(s)/Applicant(s) above named respectfully submits as under:

- 1. Full Name of the Advocate
- 2. Address, e-mail and mobile number of the Advocate
- 3. Name, address, e-mail, mobile number and nationality of the owner/Author/assignor
- 4. Description of the work (Literary, Dramatic Musical, Artistic, Cinematograph Film, Sound Recording) including
 - i. Title of the work
 - ii. Name, address and nationality of the publisher:
 - iii. Year of first and last publication
 - iv. Country of first and last publication
- 5. Details of registration

Details of any other proceedings pending with respective same work within the knowledge of the petitioner(s	
Dearing	
Prayer	:
Verification	[Name & Signature of the Advocate for the Petitioner(s)/ Complainant(s)/Applicant(s)]
	(Signature of the Petitioner(s)/ Complainant(s)/Applicant(s)
Affidavit in support	:
Documents	
of assignment deed be attached	
other relevant documents	
All the pleadings shall be accompanied by the afficoncerned.	idavit of the authorised representative of the party
Documents establishing authorization such as Power-opetition.	f-Attorney, Board Resolution etc. shall accompany the
<u>-VII</u>	
[Form for Appeals under Section 7	2 of the Copyright Act, 1957]
	[COURT FEES:]
IN THE HIGH COURT OF DE	ELHI AT NEW DELHI
(Intellectual Property Division -	- Appellate jurisdiction)
C.A.(CommIPD/CR)	of
	Appellant(s)
ame, address, e-mail and mobile number of pellant(s). In case of foreign Appellant(s), for service in India to be furnished)	
Ve	rsus
	Respondent(s)
ame, address, e-mail and mobile number of Respondent(s). In case of foreign lent(s)address for service in India to be ed)	
	Affidavit in support Documents of assignment deed be attached other relevant documents All the pleadings shall be accompanied by the afficoncerned. Documents establishing authorization such as Power-opetition. -VII [Form for Appeals under Section 7 IN THE HIGH COURT OF DE (Intellectual Property Division - C.A.(CommIPD/CR) ame, address, e-mail and mobile number of pellant(s). In case of foreign Appellant(s), for service in India to be furnished) Ven ame, address, e-mail and mobile number of Respondent(s). In case of foreign lent(s)address for service in India to be

The a	appellant(s) above named respectfully submits as u	der:
1	1. Full Name of the Advocate	:
2.	Address, e-mail and mobile number of the Advoc	ite :
3.	Date of the impugned order appealed against	:
4.	Provision under which the impugned order passe	:
5.	Period of limitation	:
6.	Delay, if any, in filing the appeal and reasons the	eof :
7.	Grounds of appeal	:
8.	Details of any other proceedings pending in rework(s) within the knowledge of the Appellant	pect of the same :
9.	Prayer	:
		(Name & Signature of the Advocate/Appellant(s))
10.	Verification	:
		[Signature of the Appellant(s)]
11.	Affidavit in support.	:
List	of Documents	
1.Imp	ougned order.	
2. Ar	y other relevant documents.	
NOT	Е:	
1.	All the pleadings shall be accompanied by concerned.	the affidavit of the authorised representative of the party
2.	Documents establishing authorization such as I appeal.	ower-of-Attorney, Board Resolution etc. shall accompany the
FOR	M-VIII	
	[Form under Section	s 64/71 of the Patents Act, 1970]
	NUMBER WAS COMPA	[COURT FEES:
		OF DELHI AT NEW DELHI
	` • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ion – Original Civil Jurisdiction) AT) of
	C.O. (COMM11 D)	Petitioner(s)/Applicant(s)
the petiti	Name, address, e-mail and mobile number of petitioner(s)/applicant(s). In case of foreign oner(s)/applicant(s), address for service in India furnished)	
		Versus
		Respondent(s)
		- ``

(Full Name(s), address, e-mail and mobile number of

the Respondent(s). In case of foreign Respondent(s), address for service in India to be furnished)

PETITION/A	APPLICATION UNDER SECTION OF TH	IE PATENTSACT, 1970 SEEKING
The Petitione	r(s)/Applicants(s) above named respectfully submit as under:	
1.	Full Name of the Advocate	:
2.	Address, e-mail and mobile number of the Advocate	:
3.	Name and address of the Patent Agent, if any	:
4.	Patent sought to be revoked/rectified	:
	(i) Registration number	
	(ii) Title of the invention	
	(iii) Date of filing of Application	
	(iv) Date of advertisement in the Journal and details thereof	
	(v) Details of pre-grant Opposition(s) filed, if any	
	(vi) Date of grant of patent	
	(vii) Date of expiry of the term of patent	
5.	Proprietor of the registered Patent	:
6.	Details of predecessor-in-interest of the Patent, if any	:
7.	Current status of the Patent (print out from the website of the Patent Office to be attached)	:
8.	Interest of the petitioner, in brief	:
9.	Provisions invoked for seeking revocation/ Rectification	:
10.	Grounds for seeking revocation/ Rectification	:
11.	Details of any other proceedings pending with respect to the same patent or patent family within the knowledge of the petitioner/Applicant	
12.	Prayer	:
		[Name & Signature of the Advocate for the Petitioner(s)/Applicant(s)]
13.	Verification	:
		(Signature of the Petitioner(s)/ Applicant(s)

List of documents

- 1. Copy of the complete specification of the Patent of which revocation or rectification is sought be filed.
- 2. Any other relevant documents.

14. Affidavit in support

NOTE:

- 1. All the pleadings shall be accompanied by the affidavit of the authorised representative of the party concerned.
- 2. Documents establishing authorization such as Power-of-Attorney, Board Resolution etc. shall accompany the

	petition.	
<u>FOI</u>	<u>RM-IX</u>	
	[Form under Section 117-A of the Part	tents Act, 1970]
		[COURT FEES:]
	IN THE HIGH COURT OF DELHI AT	NEW DELHI
	(Intellectual Property Division – Appella	ate jurisdiction)
	C.A.(CommIPD/PAT) of _	
		Appellant(s)
the	l Name, address, e-mail and mobile number of Appellant(s). In case of foreign Appellant(s), ress for service in India to be furnished)	
	Versus	
		Respondent(s)
the resp furn	l Name, address, e-mail and mobile number of Respondent(s). In case of foreign ondent(s)address for service in India to be ished) PEAL UNDER SECTION 117A OF THE PATENTSACT,1970	CHALLENGING THE ORDER DATED
	_ PASSED BY	
The	appellant(s) above named respectfully submit as under:	
1.	Full Name of the Advocate	:
2.	Address, e-mail and mobile number of the Advocate	:
3.	Name and address of the Patent Agent, if any	:
4.	Date of the impugned order appealed against	:
5.	Authority which passed the impugned order	:
6.	Provision under which the impugned order passed	:
7.	Period of limitation	:
8.	Delay, if any, in filing the appeal and reasons thereof	:
9.	Grounds of appeal	:
10.	Details of any other proceedings pending in respect of the same patent or patent family within the knowledge of the Appellant	e :
11.	Prayer	:
		(Name & Signature of the

Advocate/Appellant(s))

12. Verification

(iii)

Date of filing of the Application

		[Signature of the Appellant(s)]
13.	Affidavit in support.	:
List	t of Documents	
1. C	Copy of the impugned order passed by the IPO.	
2.Aı	ny other relevant documents forming part of the record of the Il	PO.
NO	TE:	
1.	All the pleadings shall be accompanied by the affida concerned.	vit of the authorised representative of the party
2.	Documents establishing authorization such as Power-of-A appeal.	attorney, Board Resolution etc. shall accompany the
<u>FOI</u>	RM-X	
	[Form under Sections 56 of the Protection of Plants	s Varieties and Farmers' Rights Act, 2001]
		[COURT FEES:
	IN THE HIGH COURT OF DELF	HI AT NEW DELHI
	(Intellectual Property Division – A)	ppellate Jurisdiction)
	C.A. (CommIPD/PV)	of
		Appellant(s)
the	Il Name, address, e-mail and mobile number of Appellant(s). In case of foreign Appellant(s), ress for service in India to be furnished)	
	Versus	s
		Respondent(s)
the resp	Il Name, address, e-mail and mobile number of Respondent(s). In case of foreign condent(s)address for service in India to be hished)	
	PEAL UNDER SECTION 56 OF THE PROTECTION GHTS ACT, 2001 AGAINST ORDER DATED PA	
The	Appellant(s) above named respectfully submits as under:	
l.	Full Name of the Advocate	:
2.	Address, e-mail and mobile number of the Advocate	:
3.	Plant Variety subject matter of the Appeal	:
	(i) Application/Registration number Type of Plant registered	Variety
	(ii) The PV as appearing in the Application/Re Certificate be affixed	egistration

	(iv)	Date of advertisement in the Journal and details thereof					
	(v)	Details of Opposition(s) filed if any					
	(vi)	Date of grant of registration					
	(vii)	Renewal details					
4.	Date of	the order appealed against	:				
5.	Provisi	on under which impugned order passed	:				
5.	Period	of limitation	:				
7.	Delay,	if any, in filing the appeal and reasons thereof	:				
3.	Ground	ls of appeal	:				
9.	Applica	ant/Proprietor of the PV	:				
10.	Author	ity which passed the impugned order	:				
11.		of any other proceedings pending with respect to the same PV the knowledge of the appellant(s)	:				
12.	Prayer		:				
			Name Advoca Appella			of	the the
13.	Verific	ation	:				
			[Signat	ure o	f the Appell	ant(s)]
14.	Affidav	vit in support	:				

List of Documents

- 1. Copy of the impugned order passed by the IPO
- 2. Any other relevant documents forming part of the record of the IPO.

NOTE:

- 1. All the pleadings shall be accompanied by the affidavit of the authorised representative of the party concerned.
- 2. Documents establishing authorization such as Power-of-Attorney, Board Resolution etc. shall accompany the appeal.

FORM-XI

[Form under Section 27/58 of the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999]

[COURT FEES:]

TAI MITTE	TITALI	COLIDE	OF DEL III	A FED BITTIEST	DET III
INTHE	HI(÷H	COURT	OF DELHI	ATNEW	DELHI

(Intellectual Property Division - Original Civil Jurisdiction)

C.O.(Comm.-IPD/GI)____ of ____

...Petitioner(s)/Applicant(s)

(Full Name, address, e-mail and mobile number of the petitioner(s)/applicant(s). In case of foreign petitioner(s)/applicant(s), address for service in India to be furnished)

Versus

...Respondent(s)

(Full Name(s), address, e-mail and mobile number of the Respondent(s). In case of foreign Respondent(s), address for service in India to be furnished)

L INDICATIONS OF

		WAPPLICATION UNDER SECTION 27/58 OF THE REGISTRATION AND PROTECTION) ACT, 1999 SEEK	
The	Petition	ner(s)/ Applicant(s) above named respectfully submit as under:	
1.	Full Na	ame of the Advocate	:
2.	Addres	ss, e-mail and mobile number of the Advocate	:
3.	Name	and address of the Agent	:
4.			:
	(i)	Registration number	
	(ii)	Geographical Indication	
		(The GI as appearing in the Registration Certificate be affixed)	
	(iii)	Date of filing of Application	
	(iv)	Date of advertisement in the Geographical	
		Indication Journal and details thereof	
	(v)	Details of Opposition(s) filed if any	
	(vi)	Date of grant of registration	
	(vii)	Renewal details	
5.	Proprie	etor of the registered Geographical Indication	:
6.	Details any	s of predecessor-in-interest of the Geographical Indication, if	:
7.	Details for/reg	s of homonymous Geographical Indication, if any Applied istered	:
8.		t status of the Geographical Indications (print-out from the de of the Geographical Indications Registry to be attached)	:
9.	Date Indica	of user claimed in the application for Geographical tions.	:
10.	Disclai	imer/other conditions, if any	:
11.	Interes	t of the petitioner(s)/ applicant(s), in brief	:
12.	Ground	ds for seeking cancellation/relief	:
13.		s of any other proceedings pending with respect to the same hin the knowledge of the Petitioner(s)/Applicant(s)	:
14.	Prayer		:

			[Name & S for the Petit	_	f the Advocate pplicant(s)]
15. Ver	rification		:		
			(Signature Applicant(s		Petitioner(s)/
16. Aff	fidavit in support		:		
List of o	documents				
1. Copy	of registration certificate obtained by the respon-	dent in respect of	the impugned	l GI.	
2. Curre	ent status of the GI printed from the website of the	e GI Registry			
3. Relev	vant documents.				
NOTE:					
1.	All the pleadings shall be accompanied by concerned.	the affidavit of	the authorise	d represe	ntative of the party
2.	Documents establishing authorization such as P petition.	Power-of-Attorney	, Board Reso	lution etc	shall accompany the
FORM-	<u>-XII</u>				
[Form t	under Sections 31 of the Geographical Indicati 116 of the Geographical Indications of		-		
					[COURT FEES:]
	IN THE HIGH COURT	OF DELHI AT N	NEW DELH	Ī.	
	(Intellectual Property Div	vision – Appellato	e jurisdiction	1)	
	C.A.(CommIPD/0	GI) of			
					Appellant(s)
the App	ame, address, e-mail and mobile number of pellant(s). In case of foreign Appellant(s), for service in India to be furnished)				
		Versus			
				••	.Respondent(s)
the R	ame, address, e-mail and mobile number of Respondent(s). In case of foreign ent(s)address for service in India to be ed)				

APPEAL UNDER SECTION 31 OF THEGEOGRAPHICAL INDICATIONS OF GOODS (REGISTRATION AND PROTECTION) ACT, 1999AND RULE 116 OF THE GEOGRAPHICAL INDICATIONS OF GOODS (REGISTRATION AND PROTECTION) RULES, 2002CHALLENGING THE ORDER DATED _______PASSED BY _______

The Appellant(s) above named respectfully submit as under:

	(ii)	Geographical Indication (The GL as appearing in the Registration Certificate be	
		(The GI as appearing in the Registration Certificate be affixed)	
	(iii)	Date of filing of Application	
	(iv)	Date of advertisement in the Geographical	
		Indication Journal and details thereof	
	(v)	Details of Opposition(s) filed if any	
	(vi)	Date of grant of registration	
	(vii)	Renewal details	
5.	Date o	f the impugned order appealed against	:
6.	Applic	cant/Proprietor of the Geographical Indication	:
7.	Autho	rity which passed the impugned order	:
8.	Provis	ion under which impugned order passed	:
9.		of limitation	:
10.	Delay,	if any, in filing the appeal and reasons thereof.	:
11.	Groun	ds of appeal	:
12.		s of any other proceedings pending with respect to the same hin the knowledge of the appellant(s)	:
13.	Prayer		:
			(Name & Signature of the Advocate/Appellant(s))
14.	Verific	cation	:
			[Signature of the Appellant(s)]
		vit in support.	

List of Documents

- 1. Copy of the impugned order passed by the IPO
- 2. Any other relevant documents forming part of the record of the IPO.

NOTE:

- 1. All the pleadings shall be accompanied by the affidavit of the authorised representative of the party concerned.
- 2. Documents establishing authorization such as Power-of-Attorney, Board Resolution etc. shall accompany the appeal.

FORM-XIII

[Form under Section 40 of the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act, 2000]

(COURT FEES:))
---------------	---

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

	IN THE HIGH COURT (Intellectual Property Divis		
	C.O. (CommIPD/S	SCD) of	
			Petitioner(s)/Applicant(s)
the petition	Name, address, e-mail and mobile number of petitioner(s)/applicant(s). In case of foreign oner(s)/applicant(s), address for service in India furnished)		
		Versus	
			Respondent(s)
the R	Name(s), address, e-mail and mobile number of espondent(s). In case of foreign Respondent(s), ss for service in India to be furnished)		
	TION/APPLICATION UNDER SECTION 40 (OUT-DESIGN ACT, 2000 FOR		
The P	etitioner(s)/ Applicant(s) above named respectfully	submits as under	:
1.	Full Name of the Advocate		:
2.	Address, e-mail and mobile number of the Advo	ocate	:
3.	Name and address of the Agent, if any:		:
4.	Details of Layout-design for which royalty is be	ing claimed:	:
5.	Relief prayed and relevant section(s)		:
6.	Brief facts		:
7.	Grounds in support for seeking royalty:		:
8.	Benefit accrued by performing, or directing to b acts referred to Section 18(1)(b) in respect of lay	•	:
9.	Details of any other proceedings pending with same layout-design within the knowle petitioner/Applicant including the forum		:
10.	Prayer		:
			[Name & Signature of the Advocate for the Petitioner(s)/Applicant(s)]
11.	Verification		:
			(Signature of the Petitioner(s)/ Applicant(s)
12.	Affidavit in support		:

List of Documents

- 1. Copy of registration certificate obtained by the respondent in respect of the impugned layout-design.
- 2. Current status of the layout-design.
- 3. Any other relevant document(s).

NOTE:

- 1. All the pleadings shall be accompanied by the affidavit of the authorised representative of the party concerned.
- 2. Documents establishing authorization such as Power-of-Attorney, Board Resolution etc. shall accompany the petition.

FORM-XIV

[Form under Section 41 of the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act, 2000]

(COURT FEES:____)

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

(Intellectual Property Division - Original Civil Jurisdiction)

C.O. (Comm.-IPD/SCD)____ of ____

...Petitioner(s)/Applicant(s)

(Full Name, address, e-mail and mobile number of the petitioner(s)/applicant(s). In case of foreign petitioner(s)/applicant(s), address for service in India to be furnished)

Versus

...Respondent(s)

(Full Name(s), address, e-mail and mobile number of the Respondent(s). In case of foreign Respondent(s), address for service in India to be furnished)

PETITION/APPLICATION UNDER SECTION 41 OF THE SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUITS LAYOUT-DESIGN ACT, 2000 FOR _____

The P	etitioner(s)/ Applicant(s) above named respectfully submits as under:		
1.	Full Name of the Advocate	:	
2.	Address, e-mail and mobile number of the Advocate	:	
3.	Name and address of the Agent, if any	:	
4.	Details of Layout-design sought to be cancelled	:	
5.	Relief prayed and relevant section(s)	:	
6.	Proprietor of the registered layout-design	:	
7.	Grounds for seeking relief	:	
8.	Details of any other proceedings pending with respect to the same layout-design within the knowledge of the petitioner/Applicant including the forum	:	
9.	Prayer	:	

[Name & Signature of the Advocate

5.

Authority which passed the impugned order

		for the Petitioner(s)/Applicant(s)]
10.	Verification	:
		(Signature of the Petitioner(s)/ Applicant(s)
11.	Affidavit in support	:
List	of Documents	
1. C	opy of registration certificate obtained by the respon	dent in respect of the impugned layout-design.
2. Cı	urrent status of the layout-design	
3. A	ny other relevant document(s)	
NO	TE:	
1.	All the pleadings shall be accompanied by concerned.	the affidavit of the authorised representative of the party
2.	Documents establishing authorization such as F petition.	Power-of-Attorney, Board Resolution etc. shall accompany the
<u>FOF</u>	<u>RM-XV</u>	
	[Form under Section 42 of the Semiconduc	ctor Integrated Circuits Layout-Design Act, 2000]
		[COURT FEES:]
	IN THE HIGH COURT	OF DELHI AT NEW DELHI
	(Intellectual Property Div	vision – Appellate Jurisdiction)
	C.A. (CommIPD/S	(CD) of
		Appellant(s)
the	Name, address, e-mail and mobile number of Appellant(s). In case of foreign Appellant(s), ess for service in India to be furnished)	
	<i>,</i>	Versus
		Respondent(s)
the respo	Name, address, e-mail and mobile number of Respondent(s). In case of foreign ondent(s)address for service in India to be ished)	
		ICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUITS LAYOUT- THE ORDER DATED PASSED BY
The	appellant(s) above named respectfully submit as und	ler:
1.	Full Name of the Advocate	:
2.	Address, e-mail and mobile number of the Advoc	ate :
3.	Name and address of the Agent, if any	:
4.	Date of the impugned order appealed against	:

:

6.	Provision under which the impugned order passed	:
7.	Period of limitation	:
8.	Delay, if any, in filing the appeal and reasons thereof	:
9.	Grounds of appeal	:
10.	Details of any other proceedings pending in respect of related layout-design within the knowledge of the App	
11.	Prayer	:
		(Name & Signature of the Advocate/Appellant(s))
12.	Verification	:
		·
		[Signature of the Appellant(s)]
13.	Affidavit in support.	:
List	of Documents	
1. Co	opy of the impugned order passed by the IPO	
2.An	ny other relevant documents forming part of the record of	f the IPO.
NO	re:	
1.	All the pleadings shall be accompanied by the concerned.	affidavit of the authorised representative of the party
2.	Documents establishing authorization such as Powe appeal.	er-of-Attorney, Board Resolution etc. shall accompany the
FOE	RM-XVI	
	[Form under Section 36	of the Designs Act, 2000]
		[COURT FEES:]
	IN THE HIGH COURT OF	
	(Intellectual Property Divisio	
	C.A.(CommIPD/DE)	ofAppellant(s)
/E 11	None allower will and subtle and such	Appenant(s)
the	Name, address, e-mail and mobile number of Appellant(s). In case of foreign Appellant(s), ess for service in India to be furnished)	
		Versus
		Respondent(s)
the respo	Name, address, e-mail and mobile number of Respondent(s). In case of foreign ondent(s)address for service in India to be ished)	
APP	PEAL UNDER SECTION 36 OF THE DESIGNS PASSED BY	ACT, 2000CHALLENGING THE ORDER DATED

The appellant(s) above named respectfully submit as under:

l .	Full Name of the Advocate	:
2.	Address, e-mail and mobile number of the Advocate	:
3.	Name and address of Agent, if any	:
4.	Date of the impugned order appealed against	:
5.	Authority which passed the impugned order	:
5.	Provision under which the impugned order passed	:
7.	Period of limitation	:
8.	Delay, if any, in filing the appeal and reasons thereof	:
9.	Grounds of appeal	:
10.	Details of any other proceedings pending in respect of the same or related design within the knowledge of the Appellant	:
11.	Prayer	:
		(Name & Signature of the Advocate/Appellant(s)
12.	Verification	:
		[Signature of the Appellant(s)]
13.	Affidavit in support.	[Signature of the Appellant(s)] :

List of Documents

- 1. Copy of the impugned order passed by the IPO
- 2. Any other relevant documents forming part of the record of the IPO.

NOTE:

- 1. All the pleadings shall be accompanied by the affidavit of the authorised representative of the party concerned.
- 2. Documents establishing authorization such as Power-of-Attorney, Board Resolution etc. shall accompany the appeal.

FORM-XVII

[Form under Section 46 of the Information Technology Act, 2000]

ICO	URT FEES:	
\mathbf{u}	UNIFEES:	

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

(Intellectual Property Division – Original Civil Jurisdiction)

C.O. (Comm.-IPD/IT)____ of ____

...Petitioner(s)

(Full Name, address, e-mail and mobile number of the Petitioner(s). In case of foreign Petitioner(s), address for service in India to be furnished)

...Respondent(s)

(Full Name, address, e-mail and mobile number of the Respondent(s). In case of foreign respondent(s)address for service in India to be furnished)

PETITION UNDER SECTION 46 OF THE INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000 CLAIMING INJURY/DAMAGES

The Po	etitioner(s) above named respectfully submits as under:	
1.	Full Name of the Advocate	:
2.	Address, e-mail and mobile number of the Advocate	:
3.	Period of limitation, if any	:
4.	Brief introduction and details of the contravention committed under the provisions of the Information Technology Act, 2000 and/or rules and regulations thereunder.	:
5.	Compensation for injury/damages claimed ¹	:
6.	Justification thereof, in terms of Section 47, Information Technology Act, 2000	
7.	Prayer	:
8.	Verification	(Name & Signature of the Advocate/Petitioner(s))
		[Signature of the Petitioner(s)]

List of Documents

Affidavit in support.

- 1.All relevant documents to establish the contravention under the Information Technology Act, 2000;
- 2. All relevant documents in support of the claim for injury/compensation claim for damages.

NOTE:

9.

- 1. All the pleadings shall be accompanied by the affidavit of the authorised representative of the party concerned.
- 2. Documents establishing authorization such as Power-of-Attorney, Board Resolution etc. shall accompany the petition.

FORM-XVIII

[Form under Section 62 of the Information Technology Act, 2000]

[COURT FEES:

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

(Intellectual Property Division – Appellate Jurisdiction)

\sim .	(C) TDD (TD)	•
C.A.	(CommIPD/IT)	of

¹ A claim for compensation before the Delhi High Court would lie only if the claim exceeds INR 5 crores.

		Appellant(s)
(Full Name, address, e-mail and mobile number of the Appellant(s). In case of foreign Appellant(s), address for service in India to be furnished)		
	Versus	
		Respondent(s)
(Full Name, address, e-mail and mobile number of the Respondent(s). In case of foreign respondent(s)address for service in India to be furnished)		

APPEAL UNDER SECTION 62 OF THE INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000 CHALLENGING THE ORDER DATED ____ PASSED BY _____

The appellant(s) above named respectfully submit as under:

1. Full Name of the Advocate :

2. Address, e-mail and mobile number of the Advocate :

3. Date of the impugned order appealed against :

4. Authority/forum which passed the impugned order :

5. Provision under which the impugned order passed :

6. Period of limitation :

7. Delay, if any, in filing the appeal and reasons thereof :

8. Grounds of appeal :

9. Prayer :

(Name & Signature of the

Advocate/Appellant(s))

10. Verification

[Signature of the Appellant(s)]

11. Affidavit in support.

List of Documents

- 1. Copy of the impugned order passed by the relevant authority/forum.
- 2. Any other relevant documents forming part of the record of the relevant authority.

NOTE:

- 1. All the pleadings shall be accompanied by the affidavit of the authorised representative of the party concerned.
- 2. Documents establishing authorization such as Power-of-Attorney, Board Resolution etc. shall accompany the appeal.

SCHEDULE II

Sr. No.	Items	Court Fees
1.	Application or Petition filed under Sections 47/57/125 of the Trade Marks Act, 1999, in alternative or in conjunction.	Rs. 10,000/-

2.	Appeal filed to the High Court under Section91 of Trade Marks Act, 1999.	Rs. 10,000/-
3.	Petition or Complaints filed under Section 19A of the Copyright Act, 1957 with respect to assignment of the Copyright Act.	Rs. 5000/-
4	Petition or Complaint or Application filed under Section 31 of the Copy Right Act, 1957 for Compulsory Licence in works withheld from Public.	Rs. 10,000/-
5.	Petition or Complaint or Application filed under Section 31A of the Copyright Act 1957 for Compulsory Licence in Unpublished or Published Works.	Rs. 10,000/-
6.	Petition or Complaint or Application filed under Section 31B of the Copyright Act, 1957 for Compulsory Licence for Benefit of Disabled.	Rs. 10,000/-
7.	Petition or Complaint or Application filed under Section 31C of the Copyright Act, 1957 for Statutory Licence for cover versions.	Rs. 10,000/-
8.	Petition or Complaint or Application filed under Section 31D of the Copyright Act, 1957 for Statutory Licence for Broadcasting of Literary and Musical Works and Sound Recording.	Rs. 10,000/-
9.	Petition or Complaint or Application filed under Section 32 of the Copyright Act, 1957 for Licence to Produce and Publish Translations.	Rs. 10,000/-
10.	Petition or Complaint or Application filed under Section 32A of the Copyright Act, 1957 for Licence to Reproduce and Publish Works for Certain Purposes.	Rs. 10,000/-
11.	Petition or Complaint or Application filed under Section 31C (5) of the Copyright Act, 1957 to the effect that the owner of the right has not paid in full for any sound recordings purporting to be made in pursuance of this Section.	Rs. 10,000/-
12.	Application for rectification of register filed under Section 50 of the Copyright Act.	Rs. 10,000/-
13.	Appeal made under Section 72 of the Copyright Act, 1957 against the order of the Registrar.	Rs. 5000/-
14.	Petition or Application made under Section 64 of the Patents Act, 1970 for Revocation of Patent.	Rs. 10,000/-
15.	Petition or Application made under Section 71 of the Patent Act, 1970 for Rectification of Register.	Rs. 10,000/-
16.	Appeal filed under Section 117A of the Patents Act, 1970.	Rs. 10,000/-
17.	Petition or Application for rectification of the register by cancelling, expunging or varying of any entry under Section 27 of the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999.	Rs. 5000/-
18.	Appeal from the order of the Registrar filed under Section 31 of the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999.	Rs. 5000/-
19.	Appeal filed under Section 56 of the Protection of Plants Varieties and Farmers Right Act, 2001.	Rs. 5000/-
20.	Petition filed under Section 46 of the Information Technology Act, 2000 seeking compensation/damages.	Rs. 5000/-
21	Appeal filed under Section 62 of the Information Technology Act, 2000.	Rs. 5000/-
22.	Appeal filed under Section 36 of the Designs Act, 2000.	Rs. 5000/-
23.	Any other original petition/appeal not mentioned above.	Rs. 5000/-
24.	Any other miscellaneous application not mentioned above.	Rs. 500/-

By Order of the Court,

MANOJ JAIN, Registrar General